"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 890] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 4, शक 1947

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/RULE-501/1/2025-TOURISM .— राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के स्थानीय जन/पर्यटन हितधारकों के रोजगार के अवसर में वृद्धि करते हुए अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके तथा पर्यटकों/आगंतुको को आवासीय एवं अन्य सुविधाओं के अभिवृद्धि प्रदान करने एवं व्यक्तिगत यात्रा अनुभवों के माध्यम से राज्य की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुन्दरता को प्रदर्शित करने व पर्यटन के क्षेत्र में संरचनात्मक एवं आर्थिक विकास को सुदृढता मिल सके, इस हेतु "छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025–30" निम्नानुसार जारी करता है :–

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025–2030

1. **नीति का संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :–**

1.1 यह नीति"छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025" कहलाएगा।

1.2 यह नीति सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा।

1.3 यह नीति राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

1.4 इस नीति का उद्देश्य होगा :

1.4.1 घरेलू और विदेशी पर्यटकों को स्थानीय परिवेश में रहने, भोजन और अन्य विविध जीवन अनुभव प्रदान करना।

1.4.2 पर्यटकों को छत्तीसगढ़ की अनूठी संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराना।

1.4.3. निजी मकान स्वामियों को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा पर्यटकों को किराए पर देकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाना।

1.5 यह नीति होटल, मोटल और गेस्ट हाउस पर लागू नहीं होगी।

2. **परिभाषाएं :–**

इस नीति में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

2.1 "होमस्टे प्रतिष्ठान" से तात्पर्य ऐसी संपत्तियों से है, जहां प्रतिष्ठान के स्वामी/प्रवर्तक, आगंतुकों/अतिथियों (जैसा कि भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा परिभाषित किया गया है) को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने परिवार के साथ रहते हैं।

2.2 "आवेदक" का अर्थ है प्रतिष्ठान का स्वामी/संचालक जो इस नीति के तहत होमस्टे के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करता है। यदि कोई संचालक पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो उसे संपत्ति के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, जो उसकी संपत्ति को होमस्टे के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है।

2.3 "इकाई" या "प्रतिष्ठान" पंजीकृत होमस्टे है।

2.4 "पर्यटक" या "अतिथि" या "आगंतुक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो होमस्टे में रहने के लिए राशि का भुगतान करता है।

2.5 "परिशिष्ट" का तात्पर्य इस नीति के साथ संलग्न परिशिष्ट से है।

2.6 ''हेरिटेज होमस्टे'' का तात्पर्य 1950 से पहले पारंपरिक शैली में निर्मित इकाई से है तथा भवन के अग्रभाग में कोई बड़ा परिवर्तन नही किया जाएगा।

2.7 ''शहरी होमस्टे'' का अर्थ है नगर निगम/नगर पालिका परिषद की सीमा के भीतर स्थित इकाई। हालांकि, इस नीति के अनुभाग 6: प्रोत्साहन प्रावधानों में निर्धारित प्रोत्साहन/सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.8 ''नई होमस्टे इकाई'' से तात्पर्य किसी भी होमस्टे प्रतिष्ठान से है जो छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति, 2025 के नीति की आधिकारिक प्रकाशन की तिथि के बाद परिचालन शुरू करता है।

2.9 ''मौजूदा होमस्टे इकाई (इकाई)'' से तात्पर्य किसी भी होमस्टे प्रतिष्ठान से है जो छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति, 2025 की अधिकारिक प्रकाशन की तिथि से पहले चालू था।

2.10 ''ग्रामीण होमस्टे'' से तात्पर्य नगर निगम/नगर पालिका परिषद की सीमा के बाहर स्थित इकाई से है।

2.11 "जिला स्तरीय पर्यटन समिति (DLTC)" से तात्पर्य जिला स्तर पर गठित समिति जो विकेन्द्रीकृत पर्यटन विकास को सुगम बनाने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ कार्य करेगी।

3. **परिचय :–**

3.1 **होमस्टे नीति के लिए अनिवार्यताएं** – छत्तीसगढ़ में होमस्टे नीति की आवश्यकता राज्य की अनूठी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुन्दरता को अधिक अंतरंग और व्यक्तिगत यात्रा अनुभवों के माध्यम से प्रदर्शित करने की इच्छा से उत्पन्न हुई है। होमस्टे स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन की एक झलक प्रदान करते हैं, जिससे अगंतुकों को उनके रीति–रिवाजों और परंपराओं को जीने और अनुभव करने का मौका मिलता है। यह यात्री और स्थानीय समुदाय के बीच एक सेतु का काम करते हैं, जिससे क्षेत्र के जीवन यापन के तरीकों के प्रति संवेदनशीलता अपनाते हुए आर्थिक विकास हो सकें । जैसे–जैसे दुनियां पर्यावरण के अनुकूल और जिम्मेदार पर्यटन की ओर बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ की होमस्टे नीति इस बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे आवासों को बढ़ावा दे रही है जो पर्यावरण के अनुकूल हों और स्थानीय समुदायों के लिए फायदेमंद हों। होमस्टे स्वाभाविक रूप से इस लोकाचार का समर्थन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य में पर्यटन विकास समावेशी और स्थायी दोनों है।

3.2 **होमस्टे के माध्यम से अवसरों का लाभ उठाना** – होमस्टे नीति छत्तीसगढ़ के निवासियों और उसके आगंतुको के लिए कई लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इससे स्थानीय लोगों को अपने समुदायों के भीतर आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर अपनी विरासत और आतिथ्य साझा करने का मौका मिलेगा। यह सुदूर अंचलों में आकर्षक के क्षेत्रों में पर्यटन के वितरण को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि बस्तर के सुरम्य गांव या चित्रकोट झरने (जिन्हें 'भारत का नियाग्रा' भी कहा जाता है) के पास की शांत बस्तियां। यह दृष्टिकोण राज्य की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संपत्तियों को संरक्षित करने में मदद करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है।

3.3 **होमस्टे के माध्यम से छत्तीसगढ़ का अनुभव** – होमस्टे नीति पर्यटकों/आगंतुको को छत्तीसगढ़ की वास्तविक जीवनशैली को अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। पर्यटक/आगंतुक दंतेवाड़ा में एक गांव के घर में राज्य के आतिथ्य का अनुभव कर सकते हैं या उपजाऊ मैदानों की कृषि प्रथाओं में भाग ले सकते हैं। वे सिरपुर हेरिटेज साइट पर राज्य के इतिहास के बारे में जान सकते हैं या इंद्रावती नदी की शांति का अनुभव कर सकते हैं, प्रत्येक होमस्टे, छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न वृत्तांतों को जीने का एक अनूठा अवसर है, चाहे वह स्थानीय व्यंजनों के स्वाद के माध्यम से हो, आदिवासी संगीत की लय के माध्यम से हो या राज्य के त्योहारों के रंगों के माध्यम से हो। यह न केवल छत्तीसगढ़ को देखने का बल्कि इसका एक अंग बनने का अवसर भी प्रदान करता है।

3.4 **सामुदायिक विकास** – यह पहल स्थानीय घरों को सांस्कृतिक आदान–प्रदान और आर्थिक अवसरों के केंद्रों में परिवर्तित करती है, जिससे निवासियों, खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने घरों में रहते हुए पर्यटन के लाभों को उठाने का अधिकार मिलता है। यह स्थायी आय सृजन और उद्यमशीलता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जो स्थानीय लोकाचार में गहराई से निहित हैं।

इसके अतिरिक्त होमस्टे मॉडल समुदाय के भीतर एकता को बढ़ावा देता है जहां निवासी एक साथ मिलकर एकीकृत अनुभव प्रदान करते हैं जिसमें प्राकृतिक ट्रेल्स से लेकर राज्य की कृषि जीवन शैली के व्यावहारिक परिचय तक सब कुछ सम्मिलित है। होमस्टे नीति केवल आर्थिक विकास की रणनीति नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की सांप्रदायिक भावना का उत्सव है और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अपनी पहचान को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता है। यह नीति पर्यटन की शक्ति का प्रमाण है। सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक शक्ति के रूप में, यह सुनिश्चित करना कि छत्तीसगढ़ को सबसे प्रामाणिक और प्रभावशाली तरीके से दुनिया के साथ साझा किया जाए।

3.5 छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति एक अधिक समावेशी और प्रमाणिक पर्यटन मॉडल की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है जो आगंतुकों और निवासियों दोनों को लाभान्वित करता है। यह पर्यटकों को राज्य के छिपे हुए आकर्षणों को देखने और समृद्ध छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे–जैसे यह नीति प्रचारित/प्रसारित होगी, यह इस जीवंत क्षेत्र के साथ पर्यटकों को जोड़ने में सहायक होगी ।

4. **उद्देश्य :–**

पूरे राज्य में होमस्टे की स्थापना को प्रोत्साहित करके स्थायी पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सके और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए व्यापक क्षमता–निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना भी है ताकि पर्यटकों के लिए स्वागत योग्य, प्रामाणिक और गुणवत्तापूर्ण होमस्टे अनुभव तैयार किए जा सकें, जिससे राज्य की विविधतापूर्ण और मेहमाननवाज जगह के रूप में पहचान बढ़े।

5. **वैधता :–**

यह नीति राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में समान रूप से लागू रहेगी।

6. **रणनीति एवं नीति की मुख्य विशेषताएं :–**

यह नीति की रणनीति प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण, रणनीतिक विपणन और गुणवत्ता आश्वासन की नींव पर बनाई गई है। इन तत्वों को एकीकृत करके, हम होमस्टे का एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहते हैं जो न केवल पर्यटकों को एक वास्तविक और यादगार प्रवास प्रदान करता है बल्कि राज्य के निवासियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान में भी योगदान देता है।

6.1 **प्रोत्साहन ढांचा** – एक मजबूत प्रोत्साहन कार्यक्रम जिसमें निवेश के लिए वित्तीय अनुदान, कर छूट, कम ब्याज दर पर ऋण या ब्याज की प्रतिपूर्ति आदि शामिल है, ताकि राज्य में गृहस्वामियों को होमस्टे विकसित करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

6.2 **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण** : संभावित होमस्टे स्वामियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें आतिथ्य, सुरक्षा, स्वच्छता, बुनियादी भाषा कौशल और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को शामिल किया गया है ताकि पर्यटकों/आगंतुकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा और प्रामाणिक अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

6.3 **विपणन और प्रचारः** ट्रैवल एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सहयोग कर होमस्टे का प्रभावी ढंग से विपणन करना, छत्तीसगढ़ की अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को उजागर करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए दृश्यता सुनिश्चित करना।

6.4 **गुणवत्ता मानक और प्रमाणनः** होमस्टे के लिए गुणवत्ता मानक तैयार करना और एक प्रमाणन प्रकिया या रेटिंग प्रणाली शुरू करना जो आगंतुकों को सुरक्षा, स्वच्छता और उच्च गुणवत्ता वाले प्रवास का आश्वासन दे, जिससे होमस्टे नेटवर्क में विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण हो।

6.5 **जागरूकता कार्यक्रम** : स्थानीय ग्रामीणों को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में होमस्टे के लाभों के बारे में शिक्षित करने और इसमें भाग लेने के सकारात्मक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों की गहरी समझ को बढ़ावा देने हेतु एक जागरूकता अभियान आयोजित करना।

7. **प्रोत्साहन प्रावधान :–**

7.1 **स्थानीय उद्यमियों को होमस्टे की स्थापना हेतु सब्सिडी और प्रोत्साहन** – छत्तीसगढ़ में होमस्टे के विकास को गति देने और स्थानीय उद्यमियों के लिए उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, यह नीति सब्सिडी और प्रोत्साहनों की एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती हैं। इन वित्तीय सहायताओं को प्रारंभिक सेटअप लागत, विस्तार प्रयासों, तकनीकी उन्नयन और परिचालन व्यय को संबोधित करने के लिए सावधानीपूर्वक संरचित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि होमस्टे स्वामियों को उनके कार्य हेतु हर तरह से सहायता मिले। निम्नलिखित तालिका राज्य के पर्यटन परिदृश्य के एक प्रमुख घटक के रूप में होमस्टे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उपलब्ध विशिष्ट प्रोत्साहनों और उनकी पात्रता शर्तों को रेखांकित करती है :–

क्र.	प्रोत्साहन का नाम	पात्रता शर्तें
1	**पूंजी निवेश सब्सिडी –** क. नई होमस्टे इकाई की स्थापना हेतु । ख. विस्तार (अतिरिक्त कक्ष) के लिए मौजूदा या पंजीकृत होमस्टे इकाइयों हेतु ।	न्यूनतम 1 कमरा और अधिकतम छः कमरों वाली होमस्टे इकाई के लिए प्रति किराये योग्य कमरे पर 1 लाख रूपये की सब्सिडी, प्रत्येक किराये योग्य कमरे को निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना चाहिए :– • कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 144 वर्ग फीट • न्यूनतम 2 चादरें, लिनन और बिस्तर के साथ 1 आरामदायक क्वीन साइज बेड, अधिमानतः भारतीय शैली में मैट्रेस के साथ। • 2 पारंपरिक कुर्सियाँ (गैर–प्लास्टिक) • अतिथि कक्ष में एक 15–एम्पीयर का भू–सम्पर्कित पावर सॉकेट • प्रकाश व्यवस्था के साथ लेखन मेज (table) • शौचालय (WC Toilet) सहित 1 बाथरूम तथा न्यूनतम 30 वर्गफुट क्षेत्रफल जिसमें प्रसाधन सामग्री (टॉयलेट पेपर/साबुन/हैंड वॉश) उपलब्ध हो।
नोटः–पूंजी निवेश सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए स्वामी को नीति के परिशिष्ट 10 में उल्लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।		
2	क. नई होमस्टे इकाई/मौजूदा होमस्टे के विस्तार के लिए ब्याज सब्सिडी। केवल ग्रामीण होमस्टे और हेरिटेज होमस्टे के लिए लागू।	• होमस्टे इकाई के विकास हेतु लिए गए ऋण पर प्रति कक्ष अधिकतम 1 लाख रूपये या 100% ब्याज सब्सिडी। • सब्सिडी का लाभ 3 वर्ष तक की पुनः भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकेगा। • होमस्टे स्वामी/आवेदक को यह लाभ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 06 माह के भीतर प्राप्त होगी।
	ख. मौजूदा या पंजीकृत इकाईयों के नवीकरण (रिनोवेशन) के लिए ब्याज सब्सिडी केवल ग्रामीण होमस्टे और हेरिटेज होमस्टे के लिए लागू।	• होमस्टे इकाई के नवीनीकरण हेतु लिए गए ऋण पर प्रति कक्ष अधिकतम 50,000/– रूपये या 100% ब्याज सब्सिडी। • सब्सिडी का लाभ तीन वर्ष तक की पुनः भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकेगा । • होमस्टे स्वामी/आवेदक को यह लाभ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 06 माह के भीतर प्राप्त होगी।
नोटः–ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए स्वामी को नीति के परिशिष्ट 11 में उल्लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।		

3	नए ग्रामीण होमस्टे के लिए तकनीकी प्रोत्साहनः	नई होमस्टे इकाईयों के लिए विशिष्ट लाभ जिनमें नीचे उल्लिखित डिजिटल संवर्द्धन शामिल हैं। • डिजिटल भुगतान गेटवे • आतिथ्य इकाईयों के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDHI) के माध्यम से होमस्टे का पंजीकरण • ब्रॉडबैंड इंटरनेट अवसंरचना इन तकनीकी समाधानों को अपनाने में सहायता के लिए, नीति में उपर्युक्त सुविधाओं को सफलतापूर्वक लागू करने वाली नई होमस्टे इकाईयों को 5,000 रूपये की एकमुश्त सब्सिडी प्रदान की जावेगी ।
4	विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिए प्रोत्साहन नई होमस्टे इकाईयों/मौजूदा होमस्टे इकाईयों/हेरिटेज होमस्टे इकाईयों के लिए लागू	इस नीति में होमस्टे स्वामी को अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करने और उनकी मेजबानी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहनों की शुरूआत की गई है, जो इस प्रकार हैं: • 5 वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रतिवर्ष 10 से 50 विदेशी आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए 5,000 रूपये। **अथवा** 5 वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रतिवर्ष 50 से 100 विदेशी आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए 10,000 रूपये।
5	राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति	होमस्टे स्वामी, औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के पृष्ठ संख्या 77 पर परिशिष्ट (8) की क्रम संख्या 1 – नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर मे उल्लिखित विवरण के अनुसार एसजीएसटी (SGST) की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

7.2 पूंजी निवेश अनुदान का वितरण –

पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार अवधि एवं अनुपात में देय होगाः–

किश्त	विवरण	प्रतिशत
प्रथम किश्त	स्थायी पूंजी अनुदान स्वीकृत होने के समय	50%
द्वितीय किश्त	होमस्टे के वाणिज्यिक संचालन एक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत पिछले वर्ष में 50 दिनों की बुकिंग या 100 पर्यटक बुकिंग का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन	30%
तृतीय किश्त	होमस्टे के वाणिज्यिक संचालन के दो वर्ष पूर्ण होने के उपरांत पिछले वर्ष में 50 दिनों की बुकिंग या 100 पर्यटक बुकिंग का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन	20%
कुल		100%

7.3. प्रोत्साहन/सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए होमस्टे के चयन के लिए मापदण्ड :

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025–30 को राज्य के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों के निकट होमस्टे की स्थापना को प्रोत्साहित करके स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य होमस्टे मालिकों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) से संबंधित लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय समुदायों की आजीविका को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग में होमस्टे को प्राथमिकता देकर, नीति इन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जबकि धीरे–धीरे सभी संभागों में होमस्टे के लिए पात्रता का विस्तार करती है। एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया और स्पष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से, छत्तीसगढ़ होमस्टे पॉलिसी 2025 का उद्देश्य होमस्टे के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देता है।

7.3.1 स्थान की आवश्यकता : होमस्टे अधिमानतः छत्तीसगढ़ के अधिसूचित पर्यटन स्थलों/ग्रामों (नीति के परिशिष्ट–13 में दर्शित अनुसार) से 5 से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित होना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025–30 के तहत प्रोत्साहन या सब्सिडी के लिए अर्हता प्राप्त की जा सके।

7.3.2 प्रोत्साहन या सब्सिडी के आबंटन के लिए विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (PVTG) से संबंधित होमस्टे मालिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह वरीयता पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।

7.3.3 पहले दो वित्तीय वर्षों (2025–26 और 2026–27) के लिए, बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थित होमस्टे को विशेष रूप से प्राथमिकता मिलेगी। यह प्राथमिकता विभाग के भीतर बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पहले आओं, पहले पाओं के आधार पर होगी।

7.3.4 जिन हितग्राहियों को पहले दो वर्षों में अनुदान लाभ प्राप्त नहीं होता है, उनके आवेदन आगामी वित्तीय वर्षों में मान्य किये जा सकेंगे। इन आवेदनों का मूल्यांकन बजट उपलब्धता और क्षेत्र में होमस्टे की समग्र मांग के आधार पर किया जाएगा।

7.3.5 तीसरे से पांचवे वर्ष (2027–28, 2028–29 और 2029–30) तक, बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा सभी संभागों के होमस्टे पहले आओं, पहले पाओं के आधार पर प्रोत्साहन या सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

7.4 सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता –

- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड पर्यटन विकास की उच्च क्षमता वाले गांवों के समूहों की पहचान करेगा। समूहों की पहचान की प्रक्रिया व्यापक होगी जिसमें सरकार, उद्योग, गैर सरकारी संगठन, ग्रामीण समुदाय और स्थानीय व्यवसायों के हितधारकों को शामिल किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड प्रत्येक क्लस्टर को सामान्य सुविधाएं और सार्वजनिक अवसंरचना जैसे सामुदायिक केंद्र, ओपन एयर थियेटर, सोविनर दुकानें आदि स्थापित करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा, ताकि स्थानीय समुदाय के साथ आगंतुकों की सहभागिता और आंगतुक अनुभव को बढ़ाया जा सके।
- ग्रामीण होमस्टे के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल की भी खोज की जाएगी।

7.5 पर्यटन क्षेत्र के सहायक उद्योग के साथ साझेदारी – यात्रा, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के सहायक उद्योग एक समूह में ग्रामीण होमस्टे विकसित करने में मदद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड होमस्टे विकसित करने में भागीदारी के लिए ऐसे उद्योगों की पहचान कर सकता है। ऐसे उद्योग के पास होमस्टे की मांग पैदा करने के लिए अधिमानतः एक बुकिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उद्योग क्लस्टर और संभावित होमस्टे की पहचान कर सकता है और उनके विकास, क्षमता निर्माण और विपणन का कार्य कर सकता है। राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और जिला स्तर पर संबंधित जिला प्रशासन/जिला स्तरीय पर्यटन समिति (DLTC) के माध्यम से प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाएगी। होमस्टे की चुनौतियों का समाधान करने में उद्योग के साथ समन्वय के लिए जिला स्तर पर समर्पित अधिकारी को नामित किया जाएगा।

7.6 गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना – छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी पंजीकृत होमस्टे स्वच्छता, सुविधाओं, भोजन और आतिथ्य सहित विभिन्न मापदण्डों पर गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। इन मानकों को बनाए रखने के लिए, बोर्ड मानक निर्धारित/प्रकाशित करेगा और मापदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए होमस्टे का नियमित निरीक्षण करेगा।

मौजूदा गुणवत्ता उपायों के अलावा, बोर्ड 'ग्रीन लीफ रेटिंग' प्रणाली के अनुसार होमस्टे का मूल्यांकन भी करेगा। यह पर्यावरण अनुकूल रेटिंग होमस्टे का मूल्यांकन उनके पर्यावरणीय स्थिरता, प्रथाओं और ऊर्जा संरक्षण प्रयासों और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के आधार पर करेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले होमस्टे को उच्च रेटिंग दी जाएगी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पर्यावरण के प्रति जागरूक यात्रियों को आकर्षित किया जा सकेगा।

यदि कोई होमस्टे आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड उचित कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसमें होमस्टे को पहले दिए गए किसी भी प्रोत्साहन को वापस लेना शामिल हो सकता है। इन उपायों को लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि छत्तीसगढ़ में होमस्टे का अनुभव प्रतिष्ठित, आनंददायक और गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों उद्देश्यों के अनुरूप बना रहे।

7.7 **विपणन और प्रचार के लिए समर्थन** – पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति/समूह/एजेंसी, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में होमस्टे को बढ़ावा देने वाले भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड/केंद्र/राज्य शासन द्वारा प्रायोजित पर्यटन प्रचार कार्यक्रम जिन्हें छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । उनकी भागीदारी का समर्थन करने के लिए, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड इन कार्यक्रमों में अपने स्वयं के स्टॉल के भीतर किराये (रेंटल बेसेस) के आधार पर उन्हें स्थान प्रदान किया जावेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में उपलब्ध अद्वितीय होमस्टे अनुभवों को प्रदर्शित करने और इन स्थानीय आवासों को व्यापक दर्शकों तक दृश्यता बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है।

8. **क्षमता निर्माण :–**

- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्रों (रिसोर्स सेंटर्स) की स्थापना के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगा । संसाधन केंद्र क्षमता निर्माण गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए अपेक्षित आई.ई.सी. (IEC) सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री और मास्टर प्रशिक्षक तैयार करेगा।
- मेजबानों/संचालकों के कौशल विकास को सुगम बनाने के लिए क्षमता निर्माण कौशल विकास कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। व्यावहारिक और भाषाई कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किये जाएंगे। पंजीकृत इकाई स्वामियों/संचालकों के विकास के लिए ''गेस्ट हाउस केयरटेकर'' और ''शिष्टाचार और सौंदर्य'' से संबंधित कार्यशालएं और प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाएंगे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड/जिला स्तरीय पर्यटन समिति पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के होमस्टे स्वामी और स्थानीय समुदायों के आर्थिक कौशल को समृद्ध करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करेगा।
- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड मौजूदा केंद्रीय और राज्य कौशल विकास पहलों जिसमें **'हुनर से रोजगार'** कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ की **'मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना'** शामिल है, के साथ समन्वय करेगी। ताकि क्षमता निर्माण और कौशल विकास के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकें। इस रणनीतिक संरेखण का उद्देश्य आतिथ्य क्षेत्र में, विशेष रूप से होमस्टे के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।
- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, नवा रायपुर स्थित होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और सुविधाओं का लाभ उठाएगा। ये कार्यक्रम होमस्टे उद्योग में शामिल लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आगंतुकों को असाधारण सेवा और अनुभव प्रदान कर सकें।
- जिला स्तरीय पर्यटन समिति (DLTC) स्थानीय युवाओं को स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षित गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने को प्रोत्साहित करेगा। ये स्थानीय पर्यटक गाइड कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गाइडों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- होमस्टे को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए होमस्टे समुदायों को संगठित करने की आवश्यकता है, जो विभिन्न स्तरों पर अपने मुद्दों को उठा सकें। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड होमस्टे संगठनों को संगठित करने में मदद करेगा।

9. **होमस्टे का मुल्यांकन और रैंकिंग :–**

- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड होमस्टे के संबंध में जिलों की रैंकिंग तैयार करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा जिलों को होमस्टे के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड होमस्टे की संख्या, संबंधित गतिविधियाँ, पहुँच, आगंतुकों की संख्या आदि जैसे मापदंडों के साथ एक रैंकिंग मैट्रिक्स विकसित करेगा।
- छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड राज्य में होमस्टे की रैंकिंग आयोजित करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इकाई स्वामियों को स्वच्छता, सुविधाओं, भोजन और आतिथ्य के संबंध में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

10. होमस्टे का पंजीकरण एवं पात्रता :–

10.1 होमस्टे प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: हेरिटेज इकाई, शहरी इकाई और ग्रामीण इकाई।

10.2 केवल वे होमस्टे प्रतिष्ठान जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन/सब्सिडी का दावा करने के पात्र होंगे।

10.3 इकाई स्वामी को आतिथ्य इकाईयों के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDHI) के माध्यम से भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय के साथ पंजीकरण पूरा करना आवश्यक है, जो होमस्टे के पंजीकरण के लिए आधिकारिक प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

10.4 श्रेणियों के अनुसार अपनी संपत्ति पंजीकृत कराने के इच्छुक इकाई स्वामियों को जीएसटी के साथ प्रारंभिक गैर–वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो तीन वर्षों के लिए वैध होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :–

क्र.	वर्गीकरण की श्रेणी	पात्रता	प्रति स्थापना इकाई पंजीकरण शुल्क/प्रति स्थापना इकाई नवीनीकरण शुल्क
1	विरासत इकाई (हेरिटेज)	यह इकाई 1950 से पहले पारंपरिक शैली में बनी है और इमारत के अग्रभाग या शैली में कोई बदलाव नहीं देखा जावेगा।	5000
2	शहरी इकाई	नगर निगम/नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित इकाई।	2000
3	ग्रामीण इकाई	नगर निगम/नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित इकाई।	500

नोटः ऊपर उल्लिखित पंजीकरण शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं है।

11. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड (CTB) के साथ होमस्टे के पंजीकरण के लिए पात्रता :–

11.1 ऐसे परिवार या व्यक्ति जिनके पास छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं का मकान हो, वे वहां भौतिक रूप से निवास करता हो तथा पर्यटक आवास के लिए न्यूनतम एक कक्ष तथा अधिकतम 6 कक्ष (12 बेड) उपलब्ध करा सकते हैं।

11.2 ऐसी सम्पत्तियां जहां केवल स्वामी/प्रमोटर द्वारा नामित एजेंट/ऑपरेटर ही निवास करता है, जहां पर्यटकों के आवास के लिए न्यूनतम एक कक्ष और अधिकतम 6 कक्ष (12 बेड) उपलब्ध कराया जा सकता है।

11.3 इस नीति के तहत, इकाई स्वामी अस्थायी रूप से अपने घर का एक हिस्सा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के साथ साझा/प्रदान कर सकता है। होमस्टे को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

11.4 एक दूसरे से जुड़े हुए कक्ष या एक ही परिसर में स्थित कक्ष/आवासीय इकाईयां, जो एक ही सामान्य क्षेत्र और सेवाएं साझा करती हैं और एक ही स्वामी या ऑपरेटर द्वारा प्रदाय की जाती हैं, उन्हें एकल प्रतिष्ठान माना जाएगा।

11.5 होमस्टे प्रतिष्ठान को परिभाषित करने के लिए, घरों में रहने वाले परिवार के मुख्यतः रहने वाले क्षेत्र के अलावा 1 से 6 अतिरिक्त कक्ष (12 बेड) होने चाहिए। पर्यटकों के ठहरने के लिए बनाए गए कक्ष आत्मनिर्भर होने चाहिए, जिनमें पश्चिमी/भारतीय शैली का शौचालय हो। प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए अन्य आवश्यकताएं नीति में दी गई हैं।

11.6 पर्यटक आवास के लिए बनाई गई इकाई में जल, विद्युत आपूर्ति, उचित वायु–संचार और प्रकाश व्यवस्था, उपयुक्त फर्नीचर, स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षा उपाय, अग्नि सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, जैसा कि इस नीति की **अनुसूची 'ए'** (परिशिष्ट 1, फॉर्म 'ए') में उल्लिखित है।

11.7 परिसर में या तो परिसर के भीतर या उसके आसपास पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र होना चाहिए। परिसर तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकें।

11.8 इकाई स्वामी/संचालक (मेहमान के अनुरोध के अनुसार) एक निश्चित कीमत पर भोजन उपलब्ध करा सकता है (जिसमें किराया राशि शामिल नहीं है)। उक्त लागत इकाई स्वामी/ऑपरेटर के विवेक पर होगी। भोजन की उपलब्धता, प्रकार और कीमत आगंतुकों को बताई जानी चाहिए और उन्हें प्रदर्शित की जानी चाहिए।

11.9 इकाई स्वामी अपने प्रतिष्ठान हेतु रहने की लागत निर्धारित करेगा। कीमतें भी दस्तावेजित/प्रदर्शित की जानी और लागत बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए।

11.10 छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025 के तहत होमस्टे पंजीकरण के लिए पात्रता मापदंड के भाग के रूप में, व्यक्ति/स्वामी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। व्यक्ति/स्वामी को इसके लिए नीति प्रमाण के रूप में वैध निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

12. होमस्टे हेतु संचालन समिति :–

12.1 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड होमस्टे के पंजीकरण के लिए नोडल एजेंसी होगा, जिसका उद्देश्य राज्य के भीतर होमस्टे पारिस्थितिकीय तंत्र को व्यवस्थित और चैनलाइज्ड विकास करना होगा।

12.2 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पंजीकरण तथा इकाईयों के लिए प्रोत्साहन/सब्सिडी की सुविधा हेतु एक समिति (जिसे अब ''समिति'' कहा जायेगा) गठित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

12.2.1 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा नामित छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का एक वरिष्ठ अधिकारी।

12.2.2 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा नामित छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का एक कार्यपालन/सहायक/उप अभियंता।

12.2.3 जिला कलेक्टर (जिला स्तरीय पर्यटन समिति के अध्यक्ष) या जिला कलेक्टर द्वारा नामित प्रतिनिधि।

12.3 समिति में आवश्यकता अनुसार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा स्वयं अथवा विषय विशेषज्ञ/कार्य के आधार अन्य अधिकारी को सदस्य के रुप में नामित किया जाएगा।

13. होमस्टे के लिए पंजीकरण और विनियमन :–

13.1 होमस्टे पंजीकरण के लिए आवेदन करने के इच्छुक इकाई स्वामियों को इस नीति में दिए गए दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करना होगा।

13.2 इकाई स्वामी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे (नीति के परिशिष्ट के रूप में संलग्न) :

12.2.1 परिशिष्ट–1 : फॉर्म ''ए'': विधिवत भरे गए ''अनुसूची ए'' के साथ आवेदन पत्र ।

12.2.2 परिशिष्ट–2 : स्वघोषणा प्रमाणपत्र।

12.2.3 परिशिष्ट–9 : पचास रूपये (50 रू.) मात्र के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वनचबद्धता (50 रू.)।

12.2.4 होमस्टे इकाई के स्वामी का निवास प्रमाण पत्र।

13.3 इकाई के पंजीकरण के नवीनीकरण के मामले में, स्वामी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

12.3.1 परिशिष्ट–4 : फॉर्म ''सी'': पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन।

12.3.2 परिशिष्ट–2 : स्वघोषणा प्रमाणपत्र।

13.4 पंजीयन एवं नवीनीकरण के मामले में, आवेदक को कण्डिका 9.4 के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान "प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड'' के पक्ष में रायपुर में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा अथवा पंजीयन के समय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराएं गए बैंक खाता क्रमांक पर ऑनलाइन बैंकिंग (आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई) के माध्यम से करना होगा।

13.5 सफल पंजीकरण के बाद, पंजीकृत इकाई के स्वामी को परिशिष्ट–3 : फॉर्म ''बी'' में संलग्न ''पंजीकरण प्रमाणपत्र'' प्राप्त होगा। स्वामी को अधिकारियों और/या आने वाले आगंतुकों द्वारा मांगे जाने पर यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। मालिक को होमस्टे इकाई में प्रमुख स्थान पर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल पंजीकृत होमस्टे इकाइयों का पर्यटन की वेबसाइट और अन्य सार्वजनिक पोर्टलों पर विस्तृत डेटाबेस बनाए रखेगा।

13.6 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए वैध होगा। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदक को पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 3 महीने पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

13.7 पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए सभी आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, जिसमें आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क, निर्धारित मंजूरी, एनओसी, प्रमाण पत्र, चेकलिस्ट आदि शामिल हैं।

13.8 जब प्रतिष्ठान पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो उसे समिति द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए।

13.9 सुविधाओं और सेवाओं की मौजूदगी का मूल्यांकन समिति द्वारा चेकलिस्ट के आधार पर किया जाएगा। चेकलिस्ट को विधिवत भरकर, सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर उपरांत आवेदन के साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना होगा।

13.10 अनुसूची–ए में उल्लिखित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों को ही नीति के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।

13.11 इकाई के स्वामी द्वारा इकाई के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए सभी आवश्यक नीति प्रस्तुत करने के बाद, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, समिति के साथ (कण्डिका 11.2 के अनुसार) आवेदन की परीक्षण कर, इकाई का निरीक्षण करेगा और आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निम्नलिखित दो कार्यों में से एक करेगा :

13.11.1 यदि दिशानिर्देशों के अनुसार इकाई पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए उपयुक्त पाई जाती है, तो उसे पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। (परिशिष्ट–3 के अनुसार), अथवा

13.11.2 यदि इकाई अनुसूची "ए" में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसे निर्णय के कारणों से अवगत कराया जाएगा और सुधार के लिए समय अवधि दी जाएगी (कण्डिका 12.12 के अनुसार)

13.12 यदि कोई इकाई अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार अर्हता पूर्ण नहीं करती है, तो उसे तीन महीने का सुधार हेतु समय दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान इकाई को आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी। आवश्यकताओं (अनुसूची "ए" के अनुसार) और समिति द्वारा दी गई टिप्पणियों के अनुसार इकाई स्वामी इकाई में किए गए परिवर्तनों के बारे में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कार्यालय को लिखित रूप से सूचित करेगा और फिर समिति अंतिम निरीक्षण का समय निर्धारित करेगी। यदि इकाई ने सभी आवश्यक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तो उसे पत्र प्राप्त करने की तिथि से निर्धारित 45 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। (परिशिष्ट 8 के अनुसार)।

यद्यपि सुधार अवधि के बाद भी इकाई अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार अर्हता प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा और स्वामी को इस नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन करना होगा।

13.13 इकाई की सुविधाओं में किसी भी परिवर्तन की सूचना 30 दिन के भीतर समिति को दी जाएगी। जैसा की कण्डिका 11 में उल्लिखित है।

13.14 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को समय–समय पर दिशानिर्देशों/नियमों एवं शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

13.15 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा कुछ मापदण्डों के आधार पर रेटिंग दी जाएगी, (विस्तीर्णता से) परिशिष्ट–7 में दी गई है।

13.16 जब इकाई इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत हो जाती है, तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर इसका प्रचार किया जाएगा, साथ ही इसके विवरण और फोटो भी दिए जाएंगे।

13.17 यदि पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो उस विशेष इकाई का स्वामी इस नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकता है। ऐसी इकाई को फिर से पंजीकृत करने का निर्णय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

13.18 यदि इकाई स्वामी इस नीति के तहत प्रोत्साहन और सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो स्वामी को निम्नलिखित नीति प्रस्तुत करने होंगे (नीति में परिशिष्ट के रूप में संलग्न):

13.18.1 परिशिष्ट–10 : पूंजी निवेश सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र।

13.18.2 परिशिष्ट–11 : ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र।

13.18.3 परिशिष्ट–12 : अन्य सब्सिडी/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र।

14. संपत्ति स्वामी की जिम्मेदारियां :–

14.1 इकाई स्वामी को सभी आगंतुकों का एक नीति रजिस्टर संधारित करना होगा जो अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। इस रजिस्टर को प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाना होगा। प्रत्येक रजिस्टर को कम से कम पॉच वर्षों तक संधारित किया जाना होगा।

14.2 इकाई स्वामी/संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिथि अपना सही विवरण प्रस्तुत करें तथा वैध पहचान के रूप में फोटो पहचान पत्र अवश्य लें।

14.3 इस रजिस्टर का निरीक्षण संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर किया जाएगा तथा दौरे का कार्यक्रम पहले से निर्धारित किया जाएगा।

14.4 यह वांछनीय है कि इाकई स्वामी आगंतुकों के रजिस्टर का डिजिटल रिकार्ड बनाए रखना होगा।

14.5 इकाई स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इकाई का परिसर स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और सुरक्षित हो।

14.6 इकाई स्वामी/संचालक द्वारा इकाई का पंजीकरण प्रमाणपत्र, कमरे का किराया, मेनू कार्ड एवं भोजन दरें, चेक–इन एवं चेक–आउट समय और अन्य ऐसी जानकारी हमेशा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।

14.7 यदि अतिथि इकाई के खिलाफ शिकायत करना चाहता है, तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी का संपर्क विवरण (नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर और ई–मेल पता) हमेशा होमस्टे इकाई के भीतर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा ।

14.8 भोजन सदैव स्वच्छता में तैयार कर आगंतुकों को परोसा जाना चाहिए।

14.9 यदि इकाई स्वामी द्वारा वेबसाइट पर किसी सेवा का वादा किया गया है/उल्लेख किया गया है, तो उसे आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना होगा।

14.10 इकाई स्वामी/संचालक को आवास और भोजन के लिए अतिथि को बुकिंग के समय बताई गई दरों से अधिक शुल्क नहीं ली जावेगी तथा अतिथि से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पैसा या एहसान नहीं मांगी जावेगी।

14.11 इकाई स्वामी को अनिवार्य रूप से फ्रंट ऑफिस की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

14.12 इकाई स्वामी/संचालक को ऐतिहासिक महत्व की किसी भी प्रतिबंधित वस्तु या वन्य जीवन की खरीद–बिक्री में शामिल नही होगा तथा इकाई परिसर में इसकी अनुमति नहीं दी जावेगी।

14.13 इकाई स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिष्ठान के भीतर किसी भी अवैध/मादक पदार्थ का सेवन न किया जाए।

14.14 इकाई स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिष्ठान के अन्दर और आसपास अत्यधिक शोर, चिल्लाहट या तेज संगीत न बज रहा हो, जिससे अन्य निवासियों को किसी भी तरह की परेशानी हो।

14.15 इकाई स्वामी को अपना संपर्क विवरण (नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर और ई–मेल पता) हमेशा होमस्टे इकाई के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

14.16 इकाई स्वामी/संचालक को किसी गैर–अतिथि (जो पंजीकृत नही है) को इकाई में अतिथि के साथ रहने की अनुमति नही होगी।

14.17 इकाई स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह स्वयं या अतिथि ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिसका पड़ोसियों की गोपनीयता और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

14.18 इकाई स्वामी को पंजीकृत होमस्टे के संबंध में आगंतुकों को किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं होगी।

14.19 होमस्टे की सुविधाओं और/या बुनियादी ढांचे और सेवाओं में किसी भी तरह के बदलाव को इकाई स्वामी द्वारा परिशिष्ट 8 में दिए गए लिखित पत्र के माध्यम से तुरंत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कार्यालय को सूचित किया जाना होगा।

14.20 इकाई स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिष्ठान के भीतर कोई भी अवैध/गैरकानूनी/अनैतिक गतिविधियां नहीं की जाएंगी।

15. किसी राष्ट्रीय/राज्य आपातकाल की स्थिति में :–

किसी भी राष्ट्रीय/राज्य आपातकाल, जैसे कि COVID-19 महामारी, के मामले में इकाईयां अपने स्वामियों और आगंतुकों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों और आदेशों का पालन करना होगा।

16. आगंतुकों की शिकायतों का निपटारा :–

16.1 पंजीकृत संपत्ति स्वामी/ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में, अतिथि लिखित रूप में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को अपनी शिकायतें बता सकते हैं। शिकायत/ई–मेल/सीटीबी द्वारा स्थापित वेबसाइट पर दर्ज की जा सकती है। शिकायत में अतिथि का नाम, पूरा पता, सम्पर्क नंबर और ई–मेल आदि जानकारी होना आवश्यक है।

16.2 शिकायतें समिति द्वारा प्राप्त की जाएंगी और उसके सदस्यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी। यदि आगंतुकों के दावें सत्यापित हो जाते हैं, तो समिति संबंधित इकाई के स्वामी को शिकायत और समिति की टिप्पणियों के बारे में सूचित की जावेगी। शिकायत को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संबंधित इकाई के स्वामी को सूचित किया जाएगा।

16.3 प्राप्त शिकायत की गंभीरता के आधार पर, समिति मामले की विस्तार से जांच करेगी और यदि दोषी पाई जाती है, तो समिति उस विशेष इकाई का पंजीकरण रद्द करने और उसे अपनी ऑनलाइन निर्देशिका से हटाने का अनुसंशा कर सकेगी।

17. इकाई का पंजीकरण रद्द करना :–

17.1 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड लिखित नोटिस के साथ, किसी होमस्टे को निर्देशिका (डायरेक्ट्री) से हटा सकते हैं और निम्नलिखित कारणों से उसका पंजीकरण रद्द कर सकते हैः

17.1.1 यदि इकाई का स्वामी बदल गया है।

17.1.2 यदि इकाई के स्वामी को किसी आपराधिक गतिविधि मे भाग लेने के लिए कानूनी तरीकों से दंडित किया गया है और/या जेल में कैद किया गया है।

17.1.3 यदि इकाई स्वामी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए।

17.1.4 यदि इकाई स्वामी इस नीति के अनुसार संचालन के लिए दिए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।

17.1.5 कोई अन्य वैध कारण।

17.2 निर्देशिका (डायरेक्ट्री) से इकाई को हटाने के लिए की गई कार्यवाही का संपत्ति स्वामी के कानूनी चरित्र या प्रचलित कानून के तहत नागरिक दयित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17.3 इकाई को निर्देशिका (डायरेक्ट्री) से हटाने से पहले, इकाई स्वामी को लिखित नोटिस द्वारा हटाने के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा। संपत्ति के स्वामी को स्पष्टीकरण देने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाने उपरांत निर्णय लिया जाएगा।

17.4 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा इकाईयों की निर्देशिका (डायरेक्ट्री) की अद्यतन सूची तथा उसमें से हटाई गई इकाईयों की सूची नियमित आधार पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी।

17.5 निर्देशिका (डायरेक्ट्री) से हटाई गई इकाईयां इस नीति के कण्डिका 12 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्ण निरीक्षण के साथ पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन कर सकती है और इस संबंध में निर्णय प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

18. पुरस्कार और सम्मान :–

18.1 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एक वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित करके पंजीकृत इकाईयों के गुणात्मक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु तीन सर्वश्रेष्ठ पंजीकृत होमस्टे को पुरस्कृत किया जाएगा।

18.2 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित करके इन पुरस्कारों को सुगम बनाएगा। इस नीति के तहत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीकृत इकाईयॉ ही भाग लेने के लिए पात्र होंगी। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड मापदंडों के एक सेट (आवश्यकता पड़ने पर तय किया जाएगा) के आधार पर प्रविष्टियों की समीक्षा करेगा और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विजेताओं का चयन करेगा।

19. **ऋण और सरकारी अनुदान :–**

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड होमस्टे के विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं/नीति के अंतर्गत ऋण और अनुदान के प्रावधान को सुगम बनाएगा।

20. **नीति और दिशानिर्देशों में स्पष्टीकरण/संशोधन :–**

20.1 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड इस नीति से संबंधित परिभाषाओं, स्पष्टीकरणों में संशोधन या इसमें किसी भी परिवर्तन को, आवश्यकता पड़ने पर, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। यह इस नीति में आगे भी आवश्यक संशोधन, परिवर्तन और उन्नयन करने के लिए अधिकृत है।

20.2 नीति के हिन्दी एवं अग्रेजी संस्करण में किये गये प्रावधान में किसी भी प्रकार का मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को मान्य होगा!

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

परिशिष्ट 1 : फॉर्म "ए"

खण्ड 12 के अनुसार होमस्टे के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. प्रतिष्ठान का नाम :.....
2. जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया गया है (विरासत/शहरी/ग्रामीण):.....
3. इकाई का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का विवरण :
   क. नामः
   ख. पहचान प्रमाण–आधारः
   ग. पैन कार्ड (यदि लागू हो)
4. निधि पोर्टल का पंजीयन क्रमांक (यदि हो तो).....
5. इकाई का पूरा डाक पताः.....
   क. टेलीफोन नंबरः
   ख. ई–मेलः
   गः प्रमोटर का मोबाइल नंबर :
6. इकाई की दूरी (किमी में):
   क. एयरपोर्टः .....
   ख. रेलवे स्टेशन :.....
   ग. शहर का मुख्य स्थान :.....
   घ. निकटतम मुख्य शॉपिंग सेंटर :.....
   ई. निकटतम बस स्टैंड/निर्धारित शहर बस स्टॉप :.....
7. इकाई का विवरणः
   क. क्या परिसर स्वामित्व वाला है या पट्टे पर है (पट्टे के मामले में स्वामित्व का प्रमाण या पट्टा विलेख संलग्न करें):.....
   ख. क्या स्वामी/स्वामी के पूर्ववृत्त और प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त की गई है (प्रति संलग्न की जाए):
   ग. जिस सड़क पर इकाई स्थित है उसकी चौड़ाई:.....
   घ. प्रतिष्ठान या उसके आसपास उपलब्ध पार्किंग का विवरण :.....
   ई. प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मीटर में):.....
   च. आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):.....
   छ. . इकाई में कक्ष की संख्या :
   1. सिंगल बेड एवं प्रत्येक कक्ष का आकारः.....
   2. डबल बेड एवं प्रत्येक कक्ष का आकारः.....
   ज. इस नीति के अंतर्गत उपयोग हेतु प्रस्तावित कक्षों की संख्या (बाथरूम और शौचालय सहित):
   झ. सामान्य क्षेत्र (वर्ग मीटर में क्षेत्र का ब्यौरा दें):
   1. लॉबी/लाउंज :
   2. भोजन स्थान :
   ञ. अतिरिक्त सुविधाएं, यदि कोई होः
   ट. पर्यावरण अनुकूल सुविधाएंः
   ठ. अग्निसमन उपकरण/ हाइड्रेन्ट, यदि कोई होः
8. कक्ष का शुल्क :
   1. सिंगल बेडरूम (INR) :
   2. डबल बेडरूम (INR) :

9. जमा किये जाने वाले शुल्क का विवरण : बैंकर्स चेक/डीडी नंबर/नकद रसीद संख्या .....एवं दिनांक.....

10. इस फॉर्म के साथ संलग्नक का विवरण:.....

11. प्रतिष्ठान में रहने वाले स्वामी या अधिकृत व्यक्ति का विवरण, जिसमें आयु, पेशा, परिवार के सदस्यों के नाम तथा उनके संबंध तथा स्वामी या प्रतिनिधि की पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी हो।

(अनुसूची ए के अनुसार प्रतिष्ठान में उपलब्ध सुविधाओं की चेकलिस्ट संलग्न करें)

हस्ताक्षर : .....

स्थान और दिनांक : .....

अनुसूची ए : चेकलिस्ट
(एन : आवश्यक, डी : वांछनीय)

क्रं.	आवश्यक शर्तें	विरासत	शहरी	ग्रामीण	स्वामी द्वारा प्रमाणीकरण (हॉ/नहीं)	वर्गीकरण समिति का अवलोकन (हॉ/नहीं)
1.	सामान्य					
1.1	स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण	एन	एन	एन		
1.2	जब तक मेहमान हों, शयनकक्ष, स्नानघर, सार्वजनिक क्षेत्र और रसोईघर की दैनिक सफाई की जाती है।	एन	एन	एन		
1.3	सभी फर्श सतह साफ और अच्छी हालत में	एन	एन	एन		
1.4	बचाव और सुरक्षा	एन	एन	एन		
1.5	कर्मचारियों के लिए वर्दी और नाम–पट्टिका	डी	डी	डी		
2.	अतिथि कक्ष					
2.1	एक न्युनतम कक्ष और अधिकतम 6 किराये के कक्ष (12 बेड) सभी कक्ष साफ, कीट–मुक्त और हवादार होने चाहिए	एन	एन	एन		
2.2	कक्ष का न्यूनतम फर्श क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	120 वर्गफुट	120 वर्गफुट	100 वर्गफुट		
2.3	एक आरामदायक बिस्तर जिसमें कम से कम 2 चादरें, लिनेन और बेड हो, अधिमानतः भारतीय डिजाइन में	एन	एन	एन		
2.4	अतिथि कक्ष में एक 15–एम्पीयर पृथ्वीकृत पावर सॉकेट	एन	एन	डी		
2.5	4 हेंगर वाली अलमारी	एन	एन	डी		
2.6	शैल्फ/दराज स्थान	एन	एन	डी		
2.7	कुर्सियॉ (प्रति बेड एक)	एन	एन	डी		
2.8	पर्याप्त रोशनी वाली स्टडी टेबल	एन	डी	डी		
2.9	तिजोरी/सुरक्षा लॉकर की सुविधा	एन	एन	डी		
2.10	रद्दी कागज की टोकरी	एन	एन	एन		
3.	स्नानघर					
3.1	बाथरूम (शौचालय सहित)	एन	एन	एन		
3.2	बाथरूम का न्यूनतम फर्श क्षेत्रफल	30 वर्गफुट	30 वर्गफुट	30 वर्गफुट		
3.3	प्रयोग योग्य शौचालय जिसमें शौचालय सीट स्थापित हो (और कवर, जहां उपयुक्त हो)	एन	एन	एन		
3.4	पश्चिमी शौचालय में प्रसाधन सामग्री (टॉयलेट पेपर/साबुन/हैंड वॉस)	एन	एन	एन		

4. जल आपूर्ति						
4.1	गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति जहॉ उचित निस्तारी हो।	एन	एन	एन		
4.2	जल बचत नल/शॉवर	डी	डी	डी		
5. सार्वजनिक क्षेत्र						
5.1	धुआँ मुक्त, स्वच्छ, गंधहीन और कीट–मुक्त रसोईघर	एन	एन	एन		
5.2	भोजन क्षेत्र जहां भारतीय भोजन परोसा जा सके।	एन	एन	एन		
5.3	स्वच्छ, गैर प्लास्टिक क्रॉकरी और कटलरी	एन	एन	एन		
5.4	जलवायु जनित आवश्यकताओं के अनुसार एयर–कंडीशनिंग या हीटिंग सुविधा, जिससे कमरे का तापमान 20–25^{0}C के बीच रहेगा	डी	एन	डी		
5.5	अनुरोध पर इस्त्री और/या इस्त्री बोर्ड का प्रावधान	डी	डी	डी		
5.6	इंटरनेट सुविधा	डी	एन	डी		
5.7	निःशुल्क एक्वागार्ड/आरओ/मिनरल वाटर	एन	एन	डी		
5.8	टेलीफोन, अतिथि कक्ष में विस्तार के साथ	डी	डी	डी		
5.9	कपड़े धोने की मशीन/ड्राई क्लीनिंग/परिसर में ड्रायर की सुविधा	एन	एन	डी		
5.10	कमरे में रेफ्रिजरेटर	डी	डी	डी		
5.11	लाउंज/लॉबी में बैठने की व्यवस्था	एन	एन	डी		
5.12	स्थानीय नियमों के अनुसार परिसर के भीतर ठोस अपशिष्ट संग्रहण	एन	एन	एन		
5.13	चेक/डीडी/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा	एन	एन	डी		
5.14	आगंतुकों के संदेश लेने की सुविधा	डी	डी	डी		
5.15	डॉक्टरों/आपातकालीन कर्मियों के नाम और संपर्क आसानी से उपलब्ध हो	एन	एन	एन		
5.16	आग्रह पर सामान संभालने में सहायता	एन	एन	एन		
5.17	स्मोक डिटेक्टर/स्मोक अलार्म	डी	डी	डी		
5.18	सामान/क्लोक रूम की सुविधा	एन	एन	डी		

नोटः– विभिन्न श्रेणियों में ग्रेडिंग आवास, सुविधाओं और सेवाओं की गुणत्ता पर निर्भर करेगी जो बनाई या प्रदान की गई है। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर समिति द्वारा इसमें छूट दी जा सकती है।

निरीक्षण/वर्गीकरण समिति के अवलोकन का प्रमाण–पत्र

आज दिनांक .....को आवेदक इकाई का आवेदन दिनांक .....के परिपालन में समिति द्वारा निरीक्षण किया गया है, आवेदक की इकाई में छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025 के अनुसार.....होमस्टे पंजीयन हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त पाई गई है। अतः समिति होमस्टे योजना अंतर्गत.....होमस्टे को .....श्रेणी अंतर्गत पंजीयन करने/पंजीयन न करने की अनुशंसा करती है।

नाम :
पदनाम :
(छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड)

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नाम :
पदनाम :
(वरिष्ठ अधिकारी)

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट 2

स्व–सत्यापन

मैं..... श्री/सुश्री/श्रीमती का पुत्र/पुत्री/पत्नी .....एतद्द्वारा सत्यापित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा नीति प्रामाणिक हैं।

इकाई स्वामी के हस्ताक्षर

स्थान : .....
दिनांक : .....

परिशिष्ट 3: फॉर्म "बी"

पंजीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवास क्रमांक.....जिसके स्वामी श्री/सुश्री/श्रीमती.....है। छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग की छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025 के अंतर्गत संधारित पंजी के क्रमांक..... .....पर .....श्रेणी में पंजीकृत है।

यह प्रमाण पत्र जारी दिनांक ..... से दिनांक .....तक वैध रहेगा।

इकाई स्वामी/संचालक का फोटो

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड

स्थानः.....
दिनांक.....

परिशिष्ट 4 : ''फॉर्म सी''

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025 के अन्तर्गत इकाई के पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन (कण्डिका 12.3 के अनुसार)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड,
उद्योग भवन, रायपुर
छत्तीसगढ़ – 492001

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं इस योजना के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करता हूं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. इकाई का नाम (पूरा पता सहित).....
2. वैधता की तिथि के साथ पंजीकरण की तिथि.....(पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति)

पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि.....को समाप्त हो रही है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस योजना के तहत निर्धारित अवधि और शर्तों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जावे। (अनुमोदित मौजूदा आवास एवं सुविधा की चेकलिस्ट अनुसार अनुसूची संलग्न है)

मैं नवीनीकरण शुल्क रू.....की राशि ''प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड (या संचालक पर्यटन), रायपुर'' के नाम पर बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट नं..... दिनांक.....संलग्न करता हूं।

इकाई स्वामी के हस्ताक्षर

नामः.....
स्थानः.....

परिशिष्ट 5

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाली निर्देशिका (डायरेक्ट्री) का प्रारूप

क.	इकाई का नाम	पंजीकरण संख्या	श्रेणी	पंजीकरण की तिथि	इकाई स्वामी का नाम	पता	दूरभाष नंबर	ई–मेल	कक्षों की संख्या एवं किराया		इकाई का सामने से दृश्य चित्र	इकाई के लिए पंजीकरण की अवधि	नवीनीकरण तिथि (यदि उपयुक्त हो)
									सिंगल बेड	डबल बेड			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

परिशिष्ट 6

इकाई स्वामी/संचालक द्वारा बनाए जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

होमस्टे का नाम :.....

.....

इकाई का पता :.....

.....

स.क्र.	अतिथि का नाम	आयु	स्थायी पता	दूरभाष नंबर एवं ईमेल पता	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट नंबर अथवा अन्य पहचान पत्र का विवरण	तिथि और समय		स्थान का नाम		हस्ताक्षर
							आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट 7

आंगतुकों द्वारा रेटिंग का प्रारूप

अतिथि का नामः.....
पता :.....
सम्पर्क नंबर :.....
ईमेल आईडी :.....
राष्ट्रीयता :.....
इकाई का नाम और स्थान :.....

कमांक	रेटिंग का निर्धारण	बहुत खराब	खराब	अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट
1	इकाई तक पहुँच					
2	इकाई और उसके परिसर की स्वच्छता					
3	सुविधाओं का प्रावधान वेबसाईट पर दी गई जानकारी के अनुसार					
4	भोजन की गुणवत्ता (यदि विकल्प चुना गया हो)					
5	मेजबानों का व्यवहार					

अतिथि के हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

परिशिष्ट 8

इकाई में परिवर्तन के बारे में सूचित करने हेतु पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड,
उद्योग भवन, रायपुर
छत्तीसगढ़–492001

मैं सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा गठित वर्गीकरण समिति की टिप्पणीयों और निर्देशों, दिनांक..... के अनुसार, अपनी इकाई (नाम) .....में आवश्यक संशोधन/सुधार/परिवर्तन किया गया है जो ..... में स्थित है।

इस पत्र के साथ, मैंने समिति द्वारा निर्धारित संशोधनों/सुधारों/परिवर्तन की तस्वीरों और विवरणों को संलग्न किया है और मैं उक्त समिति से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरी इकाई का सत्यापन करें।

इस पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी और नीति मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

(.....)

इकाई स्वामी के नाम एवं हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

परिशिष्ट 09

उपक्रम के लिए प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड,
उद्योग भवन, रायपुर,
छत्तीसगढ़–492001

मैंने छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025 में होमस्टे की स्वीकृति और पंजीकरण या नवीनीकरण के संबधं में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है, जिसका पालन करने के लिए मैं सहमत हूँ।

मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी एवं नीति सही एवं प्रामाणिक है।

(.....)

इकाई स्वामी का नाम और हस्ताक्षरः

स्थानः .....

दिनांकः .....

परिशिष्ट 10
पूंजी निवेश सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

1. प्रतिष्ठान का नामः.....
2. पंजीकरण संख्याः.....(पंजीकरण प्रमाणीकरण की एक प्रति प्रस्तुत किया जाए)
3. जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया गया है (ग्रामीण) : नई इकाई..... मौजूदा इकाई.....
4. कक्षों की संख्याः.....
5. इकाई का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का विवरण

क. नामः.....

ख. पहचान प्रमाण–आधारः.....

ग. पैनकार्ड (यदि लागू हो):.....

घ. अधिकृत व्यक्ति पर पृष्ठभूमि नोटः.....

6. इकाई का पूरा डाक पताः.....

क. टेलीफोन नंबरः.....

ख. ई–मेलः.....

ग. प्रमोटर का मोबाईल नंबरः.....

7. पूंजी निवेश की राशिः.....
8. नीति प्रमाणः.....

क्रमांक	नीति का नाम	नीति प्रस्तुत हां/नहीं	टिप्पणी
1	निर्माण में निवेश की गई राशि का विवरण देने वाला शपथ पत्र		
2	निर्माण के (पूर्व/बाद) की तस्वीरें		
3	निर्माण सामग्री (सीमेंट, ईंट, स्टील, फर्नीचर, आदि) के लिए खरीद बिल		
4	सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन योजना अनुमोदन या होमस्टे का विवरण दर्शाने वाला कोई अन्य समतुल्य नीति		

परिशिष्ट 11
ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

1. प्रतिष्ठान का नामः.....
2. पंजीकरण संख्या (पंजीकरण प्रमाणीकरण प्रति):.....
3. जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया गया है (ग्रामीण/हेरिटेज) : नई इकाई..... मौजूदा इकाई.....
4. कक्षों की संख्याः.....
5. इकाई का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का विवरण –

क. नामः.....

ख. पहचान प्रमाण – आधारः.....

ग. पैन कॉर्ड (यदि लागू हो):.....

घ. अधिकृत व्यक्ति पर पृष्ठभूमि नोटः.....

6. इकाई का पूरा डाक पता

क. टेलीफोन नंबरः.....

ख. ई–मेलः.....

ग. प्रमोटर का मोबाईल नंबरः.....

7. होमस्टे में निवेश के लिए बैंक से स्वीकृत/लिए गए ऋण की राशि :.....
8. नीति प्रमाण :.....

क्रमांक	नीति का नाम	नीति प्रस्तुत हॉ/नहीं	टिप्पणी
1	ऋण स्वीकृति नीति		
2	बैंक खाता विवरण या समय पर ब्याज जमा करने को दर्शाने वाला कोई प्रासंगिक नीति नोट : बैंक द्वारा जारी एक पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आज तक के पुनःभुगतान विवरण (पूंजी और ब्याज) का उल्लेख हो ।		
3	तस्वीरें (पहले/बाद में)		

परिशिष्ट 12
अन्य सब्सिडी/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

1. प्रतिष्ठान का नामः.....
2. जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया गया है (विरासत/शहरी/ग्रामीण): नई इकाई .....मौजूदा इकाई.....
3. कक्षों की संख्याः.....
4. इकाई का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का विवरण :.....

क. नामः:.....

ख. पहचान प्रमाण–आधारः.....

ग. पैनकॉर्ड (यदि लागू हो):.....

घ. अधिकृत व्यक्ति पर पृष्ठभूमि नोट :.....

5. इकाई का पूरा डाक पता :.....

क. टेलीफोन नंबरः.....

ख. ई–मेलः.....

ग. प्रमोटर का मोबाईल नंबरः.....

6. प्रोत्साहन/सब्सिडी का नामः.....

क्रमांक	प्रोत्साहन/सब्सिडी का नाम	हां के लिए आवेदन किया/नहीं
क	तकनीकी प्रोत्साहन	
ख	विदेशी पर्यटकों को आकर्षित और उनकी मेजबानी करने हेतु प्रोत्साहन	
ग	राज्य प्रोत्साहनों की प्रतिपूर्ति	

7. नीति प्रमाण–

क्रमांक	प्रोत्साहनों का नाम	नीति का नाम	दस्तोवज टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हां/नहीं	टिप्पणी
1	तकनीकी प्रोत्साहन (ग्रामीण होमस्टे इकाईयों के लिए लागू)	• डिजिटल भुगतान गेटवे के पंजीकरण के लिए प्रासंगिक नीति • निधि पोर्टल का पंजीकरण प्रमाण पत्र • ब्रॉडबैंड कनेक्शन का किश्त विवरण और सक्रिय बिल जिसमें ब्रॉडबैंड सेवाओं के भुगतान का विवरण दिखाया गया हो ।		
2	विदेशी पर्यटकों को आकर्षित और उनकी मेजबानी करने हेतु प्रोत्साहन	• बुकिंग की पुष्टिकरण विवरण • अतिथियों का प्रासंगिक पहचान प्रमाण • अतिथियों के साथ तस्वीरें।		
3	राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति	जीएसटी रिटर्न		

नोट :–प्रोत्साहन/सब्सिडी खण्ड 6.1 के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

परिशिष्ट 13

बस्तर एवं सरगुजा संभाग अंतर्गत होमस्टे निर्माण हेतु चिन्हांकित पर्यटन स्थल/ग्रामों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	ग्राम का नाम/प्रमुख पर्यटक स्थल
1	बस्तर	1. लोहंडीगूड़ा 2. नारायण पाल 3. तिर्था 4. धुड़मारस 5. मांझीपाल 6. चिलकुटी 7. मतनार 8. जगदलपुर 9. नागपुर
2	बीजापुर	1. इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान 2. पामेड़
3	दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा 2. मचनार (बारसूर) 3. मिडकुलनार 4. बचेली 5. कुम्हारास 6. बलुद 7. नयापारा
4	कांकेर	1. कांकेर 2. खमडोढ़गी
5	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव 2. उमरगांव 3. करनपुर 4. मसोरा 5. केशकाल 6. बुनागांव
6	जशपुर	1. मयाली (देवबोरा) 2. केरे (देशदेखा) 3. कुनकुरी 4. बगीचा (नवापारा, डंगरी) 5. बगीचा (खुड़ीयारानी/छीछली) 6. पथलगांव/तमता (घोघरा)
7	सूरजपुर	तमोर पिंगला
8	सरगुजा	1. मैनपाट (कमलेश्वरपुर) 2. रामगढ़
9	मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर	1. लाई 2. हरचौका
10	कोरिया	1. ओडगी (बैकुण्ठपुर) 2. घुनघुट्टा 3. रामगढ़ (सिंघाडिपरा) 4. सोनहट (मेन्द्रा ग्राम) 5. सोनहट (तन्जारा ग्राम) 6. गौरघाट
11	बलरामपुर	बलरामपुर

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th November 2025

NOTIFICATION

No./RULE-501/1/2025-TOURISM.— The State Government, hereby, In order to provide additional benefits to the local people/tourism stakeholders in rural and tribal dominated areas of the state by increasing employment opportunities and to provide enhanced residential and other facilities to the tourists/visitors and to showcase the unique cultural heritage and natural beauty of the state through personal travel experiences and to strengthen the infrastructural and economic development in the field of tourism, "the Chhattisgarh Homestay Policy 2025-30" is issued as follows:-

CHHATTISGARH HOMESTAY POLICY 2025-30

1 Brief Name of Policy & Expansion

1.1 This policy will be called as "Chhattisgarh Homestay Policy, 2025".

1.2 The effective area for this Policy will be entire state of Chhattisgarh.

1.3 This policy will come into implementation from the date of publication in the Official Gazette.

1.4 The aim of this policy will be to:

1.4.1 To provide stay, food and various other life experiences to domestic and foreign tourists in local surroundings

1.4.2 Introduce the tourists to Chhattisgarh's unique culture and traditions.

1.4.3 Enable private homeowners to earn additional income by renting a part of their property to tourists

1.5 This policy will not be applicable to hotels, motels and guesthouses.

2 Definitions

In this policy, unless the context otherwise requires:

2.1 "Homestay Establishment" means properties where the owners/ promoter of the establishment resides along with his/ her family for providing necessary services to the visitors/guests (as defined by the Ministry of Tourism,Govt. of India).

2.2 "Applicant" means the owner of the homestay unit or an operator of the homestay unit who applies for registration under this policy. If an operator applies, they must provide a No Objection Certificate (NOC) from the property owner allowing the use of their property as a homestay.

2.3 "Unit" or "Establishment" is the registered homestay.

2.4 "Tourist" or "Guest" or "Visitor" means a person who pays for staying in the Homestay.

2.5 "Form" means the form appended to this policy.

2.6 "Heritage Homestay" means the unit built in a traditional style,prior to 1950 and shall not see any substantial change in the façade of the building.

2.7 "Urban Homestay" means the unit located within the municipal corporation/municipal council boundary. However, will not be eligible for incentives/ subsidies as set forth in the cluase 6: Incentive Provisions of this document.

2.8 "New Homestay Unit" refers to any homestay establishment that commences operations after the official release date of the Chhattisgarh Homestay Policy 2025.

2.9 "Existing Homestay Unit" denotes any homestay establishment that was operational prior to the official release date of the Chhattisgarh Homestay Policy 2025.

2.10 "Rural Homestay" means the unit located outside the municipal corporation/municipal council boundary.

2.11 "District Level Tourism Committee (DLTC)" means the Committee constituted to facilitate decentralized tourism development at district level and shall work in collaboration with the Chhattisgarh Tourism Board (CTB).

3 Introduction

3.1 The Imperative for a Homestay Policy

The need for a Homestay Policy in Chhattisgarh stems from a desire to showcase the state's unique cultural heritage and natural beauty through more intimate and personal travel experiences. Homestays provide a window into the daily lives of locals, offering visitors a chance to live and breathe the customs and traditions that hotels cannot replicate. They serve as a bridge between the traveller and the local community, fostering a deeper appreciation for the region's way of life.

As the world gravitates towards eco-friendly and responsible tourism, Chhattisgarh's Homestay Policy responds to this shift by promoting accommodations that are harmonious with the environment and beneficial to local communities. Homestays inherently support this ethos, ensuring that tourism development in the state is both inclusive and sustainable.

3.2 Unlocking Opportunities through homestay

The Homestay Policy is set to unlock numerous advantages for Chhattisgarh's residents and its visitors. Locals will find new opportunities for economic growth and employment within their communities, allowing them to share their heritage and hospitality on a personal level. It encourages the distribution of tourism across lesser known yet equally captivating areas, such as the picturesque villages of Bastar or the tranquil settlements near the Chitrakote Falls, often referred to as the 'Niagara of India'. This approach helps preserve the state's ecological and cultural assets while fostering growth in its rural landscapes.

3.3 Experiencing Chhattisgarh through Homestays

The Homestay Policy invites travellers to immerse themselves in the authentic Chhattisgarhi way of life. Guests can experience the state's hospitality in a village home in the shadow of the Dantewada hills or participate in the agricultural practices of the fertile plains. They can learn about the state's history at the Sirpur Heritage Site or enjoy the tranquillity of the Indravati River.

Each homestay is a unique opportunity to live the Chhattisgarhi story, be it through the flavors of the local cuisine, the rhythms of tribal music, or the colours of the state's festivals. It's a chance to not just see Chhattisgarh but to be a part of it.

3.4 Community Development

This initiative transforms local homes into hubs of cultural exchange and economic opportunity, empowering residents, particularly those from tribal and rural areas, to harness the benefits of tourism right at their doorsteps. It paves the way for sustainable income generation and entrepreneurial ventures that are deeply rooted in the local ethos.

Moreover, the homestay model promotes unity within the community as residents come together to offer an integrated experience that includes everything from guided nature trails to a hands-on introduction to the state's agrarian lifestyle. The Homestay Policy is not just a strategy for economic growth; it is a celebration of Chhattisgarh's communal spirit and a commitment to preserving its identity through the collective efforts of its people. This policy is a testament to the power of tourism as a force for social and cultural enrichment, ensuring that the treasures of Chhattisgarh are shared with the world in the most authentic and impactful way.

The Chhattisgarh Homestay Policy is a visionary step towards a more inclusive and authentic tourism model that benefits visitors and residents alike. It invites travellers to explore the state's hidden gems and to experience the warmth and richness of Chhattisgarhi culture. As this policy takes root, it promises to transform the way travellers engage with this vibrant region.

4 Objective

To foster sustainable tourism and economic growth by incentivizing the establishment of homestays throughout the state, thereby empowering local communities and promoting cultural exchange. It also aims to provide comprehensive capacity-building programs to equip villagers with the necessary skills and knowledge to create welcoming, authentic, and quality homestay experiences for tourists, enhancing the state's appeal as a diverse and hospitable destination.

5 Validity

The provisions mentioned in this policy are proposed to be applied uniformly across the state for a period of 5 years from the date of notification in the Gazette.

6 Strategy & Policy Highlights

The strategy for the policy is built upon a foundation of incentivization, capacity building, strategic marketing, and quality assurance. By integrating these elements, we seek to create a thriving ecosystem of homestays that not only offer tourists an authentic and memorable stay but also contribute to the socio-economic upliftment of the state's residents.

6.1 **Incentive Framework**: A robust incentive program that includes financial grants for investment, tax exemptions, low-interest loans or reimbursement of interests, etc. to encourage homeowners in State to develop and maintain homestays.

6.2 **Capacity Building and Training**: A training program for potential homestay owners, covering hospitality, safety, hygiene, basic language skills, and cultural sensitivity to ensure quality service and authentic experiences for guests.

6.3 **Marketing and Promotion**: Collaborate with travel agencies, and online platforms to effectively market homestays, highlighting the unique cultural and natural heritage of Chhattisgarh, and ensuring visibility to domestic and international tourists.

6.4 **Quality Standards and Certification**: Framing quality standards for homestays and introduce a certification process or rating system that assures guests of safety, cleanliness, and a high-quality stay, thereby building trust and credibility in the homestay network.

6.5 **Awareness Program**: An awareness campaign to educate local villagers about the benefits of homestays as an additional source of income and to foster a deeper understanding of the positive economic and cultural impacts of participating in the homestay initiative.

7 Incentive Provisions

7.1 Subsidies and Incentives for establishment of Homestays to Local Entrepreneurs

To catalyse the development of homestays in Chhattisgarh and make them financially viable for local entrepreneurs, the policy delineates a comprehensive framework of subsidies and incentives. These financial aids are meticulously structured to address the initial setup costs, expansion efforts, technological upgrades, and operational expenditures, ensuring that homestay owners are well-supported throughout their journey. The following table outlines the specific incentives available, along with their eligibility conditions, to facilitate the growth of homestays as a key component of the state's tourism landscape.

S. No.	Name of Incentive	Eligibility Conditions
1)	**Capital Investment Subsidy -** a. for establishment of new homestay unit and b. for existing or registered homestay units for expansion (additional room)	Subsidy of INR 1 Lac per lettable room subject to A Homestay Unit with minimum 1 rooms and maximum of 6 rooms, each of the lettable room should have fulfill the following minimum criteria • Minimum room area of 144 Sq.ft. • 1 comfortable queen size bed with minimum 2 sheets linen and bedding, preferably in an Indian design bed with mattress • 2 traditional chairs (non-plastic) • One 15-amp earthed power socket in guest room • Writing table with lighting • 1 bathroom with WC toilet and minimum floor area of 30 sqft having toiletries (toilet paper/soap/hand wash) • For Rural Unit, Capital investment of minimum INR 50 k per room is required
Note:-To avail the Capital Investment Subsidy the owner shall submit the application form mentioned in Annexure 10 of the document.		

S. No.	Name of Incentive	Eligibility Conditions
2)	a. Interest Subsidy for new homestay unit/ expansion of existing home stay. Applicable for only Rural Homestay and Heritage Homestay.	• 100% interest subsidy up to a maximum of INR1 lac per room on the loan which has been taken for development of Homestay Unit. • The subsidy shall be availed during the repayment period extending up to 3 years. • The interest subsidy shall be availed by the applicant within 6 months from the completion of previous financial year.
	b. Interest Subsidy for renovation of existing or registered homestay units. Applicable for only Rural Homestay and Heritage Homestay.	• 100% interest subsidy up to a maximum of INR 50,000/- per room on the loan which has been taken for renovation of Homestay Unit. • The subsidy shall be availed during the repayment period extending up to 3 years. • The interest subsidy shall be availed by the applicant within 6 months from the completion of previous financial year.
Note: To avail the Interest Subsidy the owner shall submit the application form mentioned in Annexure 11 of the document.		
3)	Technological Incentives for New Rural Homestays:	Specific benefits for new homestay units that embrace below mentioned digital enhancements. • Digital payment gateways • Registration of Homestays through the National Integrated Database of Hospitality Units (NIDHI) • Broadband internet infrastructure To support the adoption of these technological solutions, the policy offers a one-time subsidy of INR 5,000 to new homestay units that successfully implement the aforementioned facilities.
4)	Incentives for Foreign Tourists' Attraction Applicable for New Homestay Units /Existing Homestay Units /Heritage Homestay Units	The policy introduces performance-based incentives to encourage homestay owners to attract and host international guests as below: • INR 5,000 for attracting between 10 to 50 foreign guests annually within a span of up to 5 financial years. **OR** • INR 10,000 for attracting between 50 to 100 foreign guests annually within a span of up to 5 financial years.
5)	Reimbursement of State GST	The Homestay owners shall be entitled for reimbursement of the SGST as per the details mentioned in Sr No. 1 of Appendix (8) at Page No. 77 - Net State Goods & Service tax of Industrial Development Policy 2024-30.

7.2 Disbursement of Capital Investment Subsidy

The capital investment subsidy shall be disbursed to the applicantas per the following

Installments	Details	Percentage Incentives
First Installment	At the time of Approval of the capital Subsidy	50%
Second Installment	After completion of one year of Commercial Operation subject to submission of the proof of 50 day bookings or 100 tourist bookings in previous year.	30%
Third Installment	After completion of two year of Commercial Operation subject to submission of the proof of 50 day bookings or 100 tourist bookings in previous year.	20%
Total		**100**

7.3 Criteria for the selection homestays for availing incentives/ subsidies

The Chhattisgarh Homestay Policy 2025-30 is designed to promote sustainable tourism and enhance the local economy by encouraging the establishment of homestays in proximity to the state's renowned tourist attractions. This policy aims to provide financial incentives and subsidies to homestay owners, particularly those belonging to Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG), thereby fostering inclusivity and supporting the livelihoods of marginalized communities. By prioritizing homestays in the Bastar and Surguja divisions during the initial years, the policy seeks to stimulate tourism in these regions while gradually expanding eligibility to homestays across all divisions. Through a structured application process and clear operational guidelines, the Chhattisgarh Homestay Policy 2025 aims to create a thriving ecosystem for homestays, contributing to the overall development of the state's tourism sector.

7.3.1. Location Requirement: Homestays must preferably be situated within a radial distance of 5 to 10 kilometres from the notified tourist places/Villages of Chhattisgarh (Mentioned in Annexure-13) to qualify for incentives or subsidies under the Chhattisgarh Homestay Policy 2025-30.

7.3.2. Priority will be given to homestay owners belonging to Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) for the allocation of incentives or subsidies. This preference will be implemented on a first-come, first-served basis.

7.3.3. For the first two financial years (2025-26 and 2026-27), homestays located in the Bastar and Surguja divisions will receive preferential treatment. This preference will also be based on a first-come, first-served basis, contingent upon the availability of budgetary resources within the department.

7.3.4. Applications that do not receive approval in the first two years will be considered in subsequent financial years. The evaluation of these applications will be conducted based on the remaining budget and the overall demand for homestays in the region.

7.3.5. From the 3rd to the 5th year (2027-28, 2028-29, and 2029-30), homestays from all divisions, in addition to those in the Bastar and Surguja divisions, will be eligible for incentives or subsidies on a first-come, first-served basis.

7.4 Assistance for Common Facilities

- The Chhattisgarh Tourism Board shall identify clusters of villages having high potential for tourism development. The process of Identification of clusters will be broad-based involving Stakeholders from Government, Industry, NGOs, Rural communities, and local businesses.
- The Chhattisgarh Tourism Board shall provide requisite support to every cluster for setting up common facilities and public infrastructure such as Community Centres, Open Air Theatre, Souvenir shops etc. to enhance the engagement of visitors with the local community and visitor experience.
- Suitable public-private partnership models will also be exploredto encourage the private sector to join hands in the development of rural homestays.

7.5 Partnership with ancillary industry of tourism sector

The ancillary industries of travel, hospitality and tourism sectors can help develop Rural Homestays in a cluster. The Chhattisgarh Tourism Board may identify such Industries for partnership in developing Homestays. SuchIndustry should preferably have a booking platform to generate demand for the Homestays.The industry may identify Clusters & prospective Homestays which shall be undertaken for development, capacity building & marketing. Administrative support will be provided to the industry byChhattisgarh Tourism Board at state level and respective District Administrations/District Level Tourism Committee at the district level shall be provided. A dedicated officer at the district level shall be nominated for coordination with the industry in addressing the challenges of Homestays.

7.6 Maintaining quality standards - The Chhattisgarh Tourism Board is committed to ensuring that all registered homestays uphold the highest standards of quality across various parameters, including hygiene, facilities, food, and hospitality. To maintain these standards, the Board will publish standards and conduct regular inspections of homestays to evaluate their adherence to the prescribed criteria.

In addition to the existing quality measures, the Board will also assess the homestay as per 'Green Leaf Rating' system. This eco-friendly rating will assess homestays based on their environmental sustainability practices, energy conservation efforts, and use of green technologies. Homestays that demonstrate exceptional commitment to environmental stewardship will be awarded higher ratings, which can enhance their reputation and appeal to eco-conscious travellers.

If a homestay fails to meet the required quality standards, the Chhattisgarh Tourism Board reserves the right to take appropriate action. This may include the withdrawal of any incentives previously granted to the homestay. The enforcement of these measures ensures that the homestay experience in Chhattisgarh remains reputable, enjoyable, and aligned with both quality and environmental sustainability objectives.

7.7 Support for Marketing and Promotions

Individuals/ groups/ agency active in the field of tourism industry, particularly those promoting homestays within Chhattisgarh will be incouraged to participate in the tourism promotional events sponsored by Ministry of Tourism/ Chhattisgarh Tourism Board /Central/State Government and are recognized by the Chhattisgarh Tourism Board. Chhattisgarh Tourism Board will offer space to these Individuals/ groups/ agency within its own stall at these events on a rental basis to support their participation. This provision is aimed at fostering collaborative efforts to showcase the unique homestay experiences available in Chhattisgarh and to enhance the visibility of these local accommodations to a broader audience.

8 Capacity Building

- The Chhattisgarh Tourism Board shall converge with Ministry of Tourism for setting up Resource centres for capacity building of the Stakeholders of homestays. The Resource centre will prepare requisite IEC material, training material and master trainers to provide impetus to the capacity-building activities.
- Capacity Building Skill development workshops and trainings shall be organized to facilitate the skill development of hosts/ operators. Trainings related to behavioural and linguistic skill development will be conducted. The workshops and trainings pertaining to “Guest House Caretaker” and “Etiquette and Grooming” will also be facilitated for the development of the registered unit owners/ operators. Chhattisgarh Tourism Board / District Level Tourism Committee would facilitate training workshops to enrich the hospitality skills of the Homestay owners and local communities of the region to ensure a better experience for the tourists.
- The Chhattisgarh Tourism Board is set to synergize with existing central and state skill development initiatives, including the 'Hunar Se Rozgaar' program and the 'Mukhya Mantri Kaushal Vikas Yojana' of Chhattisgarh, to introduce specialized training and courses aimed at capacity building and skill development. This strategic alignment is intended to empower individuals with the necessary skills to excel in the hospitality sector, particularly in the realm of homestays.
- The Chhattisgarh Tourism Board will collaborate with the Institute of Hotel Management (IHM), Nava Raipur, leveraging its expertise and facilities to deliver high-quality training programs. These programs will be tailored to enhance the capabilities of those involved in the homestay industry, ensuring they are well-equipped to provide exceptional service and experiences to guests.
- The District Level Tourism Committee will encourage the training of local youths as trained guides about the local cultural and natural offerings. These local tourist guides will play an important role in the success of the program. The guides may also be encouraged to learn foreign languages.
- In order to develop Homestays on a large scale, there is a need to organize the Homestay Community, which can take up their issue and concerns at various levels. The Chhattisgarh Tourism Board shall help in organizing Homestays organizations.

9. Assessment and Ranking on Homestays

- The Chhattisgarh Tourism Board will conduct a ranking of the districts on Homestays, with the key objective to foster competitiveness and encourage district to work proactively towards developing Homestays.
- The Chhattisgarh Tourism Board shall develop a ranking matrix with parameters such as number of homestays, associated activities, accessibilities, number of visitors, etc.
- The Chhattisgarh Tourism Board will conduct a ranking of the Homestays in the State, with the key objective to foster competitiveness and encourage the unit owners to maintain the quality standards with respect tohygiene, facilities, food, and hospitality.

10. Registration & Eligibility of Homestays

10.1 The homestay establishments are classified into three categories Heritage Unit, Urban Unit and Rural Unit.

10.2 The homestays establishments who are registered with the Chhattisgarh Tourism Board (CTB) will only be eligible to claim incentives/subsidies mentioned in this document.

10.3 The unit owner is required to complete registration with the Ministry of Tourism (MoT) through the National Integrated Database of Hospitality Units (NIDHI), which serves as the official system for the registration of homestays.

10.4 The unit owners intending to register their property as per the given categories will be required to pay an initial non-refundableregistration fee, valid for three years, along with GST, as given in the table below:

S. No	Category of Classification	Eligibility	Registration fee per establishment unit/Renewal Fee per establishment unit
1	Heritage Unit	The unit built in a traditional style, prior to 1950 and shall not see any substantial change in the façade of the building	5000
2	Urban Unit	The unit located within the municipal corporation /municipal council boundary.	2000
3	Rural Unit	The unit located outside the municipal corporation/municipal council boundary.	500

**Registration fees mentioned above is exclusive of GST*

11 Eligibility for Registration of Homestays with Chhattisgarh Tourism Board (CTB)

11.1 Families or an individual who own a house in the state of Chhattisgarh, is physically residing there and can spare minimum one room and maximum 6 rooms (12 beds) for tourist accommodation.

11.2 Properties where only an agent/ operator designated by the owner/ promoter resides in the establishment where minimum one room and maximum 6 rooms (12 beds) can be spared for tourist accommodation.

11.3 Under this policy, the unit owner can temporarily share/ provide a part of his/her home to domestic and international tourists. The homestay will have to be registered with the Chhattisgarh Tourism Board (CTB).

11.4 Rooms/ dwelling units connected to each other or in single premise sharing same common area & services and is provided by the single owner or operator shall be considered as single establishment.

11.5 For definingahomestay establishment, the homes should have additional 1 to 6 rooms (12 beds) apart from the main living area of the residing family. The rooms meant for stay of tourists should be self-sufficient, with a bathroom consisting of western/ Indian style toilet. The other requirements for registration of the establishments are given in the document.

11.6 The unit meant for tourist accommodation should have adequate arrangement for water, power supply, proper ventilation and lighting, suitable furniture, sanitation facilities, security measures, fire safety measures and other amenities as mentioned in the Schedule A of this document.

11.7 The premises should have adequate parking area, either within the premises or in its vicinity. The premises should be easily accessible by road.

11.8 The unit owner/ operator can provide food (as requested by the guest) at a cost (inclusive or exclusive of rent amount). The said cost will be at the unit owner/ operator's discretion. The availability, type and cost of food should be notified to the guests and must be on display for them.

11.9 The unit owner will determine the cost of stay for his/her establishment. The prices also must be documented/displayed and the cost should be competitive with market.

11.10 As part of the eligibility criteria for registering a homestay under the Chhattisgarh Homestay Policy, the individual/owner must be a resident of Chhattisgarh. The individual/owner should show the valid domicile certificate as adocumentary proof for the same.

12 Steering Committee for Homestays

12.1 Chhattisgarh Tourism Board (() will be the nodal agency for registration of the homestays, which would aim at the systematic and channelized development of the homestay ecosystem within the state.

12.2 A committee will be set up by Chhattisgarh Tourism Board (henceforth called as the "the Committee") for the registration, and facilitation of incentives/subsidies for the units. It would consist of the following members:

12.1.1. One Senior Officer of Chhattisgarh Tourism Board as nominated by the Chhattisgarh Tourism Board.

12.1.2. Ene Executive/ Assistant/ Sub Engineer of Chhattisgarh Tourism Board as nominated by the Chhattisgarh Tourism Board.

12.1.3 District Collector (Chairperson of District Level Tourism Committee) or any other representative as nominated by the District Collector.

12.3 As per requirement, the Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board himself or subject expert/other officer on the basis of work will be nominated as a member in the committee.

13 Registration and Regulations for Homestays

13.1 The unit owners wishing to apply for a registrationof homestay should follow the guidelines and rules given in this Policy.

13.2 The Owner must submit the following documents (attached as appendices in Policy):

1. Annexure 1: Form "A": Application Form along with a duly filled "Schedule A"
2. Annexure 2: Self Declaration Certificate
3. Annexure9: Undertaking on a non-judicial stamp paper of Rupees Fifty only (Rupees 50)
4. Domicile Certificate of owner of the homestay unit

13.3 In case of renewal of registration for the Unit, the Owner must submit the following documents:

1. Annexure4: Form "C": Application for Renewal of Registration
2. Annexure 2: Self Declaration Certificate

13.4 In case of registration and renewal, the applicant must pay application fee as per clause 9.4 through a Demand Draft in favour of "Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board" payable at "Raipur" or through online banking (RTGS/ NEFT/ UPI) on the bank account number provided by Chhattisgarh Tourism Board at the time of registration.

13.5 On successful registration, the Owner of the registered unit will receive/download a QR enabled "Certificate of Registration" as attached in Annexure 3: Form "B". The owner will have to produce this certificate whenever asked for by the authorities and/or the visiting guests. The owner will have to display the registration certificate at prominent place in the homestay unit. Chhattisgarh Tourism Board will maintain the detailed database of the registered homestay units on the tourism website and other public portals.

13.6 Registration will be valid for 3 years from the date of issue of certificate. For renewal of the registration, the applicant shall have to submit the application at least 3 months before the expiry of the registration.

13.7 All applications for the registration or renewal must be complete in all respects including application form, application fee, prescribed clearances, NOCs, certificates, checklist etc. Any incomplete application is liable to be rejected.

13.8 Once the establishment applies for registration, it must be ready for inspection by the Committee.

13.9 The presence of facilities and services will be evaluated against the checklist and by the Committee. The checklist should be duly filled in and signed on all pages and submitted to Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board with the application.

13.10 Establishments fulfilling all the necessary requirements mentioned in Schedule A shall only be registered under the policy.

13.11 After the Unit owner submits all the requisite documents for registration/ renewal of the Unit, the Chhattisgarh Tourism Board, along with the Committee (as per clause 11.2) will review the application, conduct an inspection of the Unit and take one of the following two actions within 45 days of receiving the application:

13.11.1 In case the Unit is found fit for registration/ renewal as per the guidelines, it will be issued a Certificate of Registration/ Renewal (as per Annexure 3), OR

13.11.2 In case the Unit fails to qualify as per the set parameters in Schedule A, it shall be informed of the reasons for the decision and be allowed a time period for rectification (as per clause 12.12)

13.12 In case any unit does not qualify as per the necessary requirements, it shall be given a three months rectification period. During this period, the unit will have to fulfil the necessary requirements (as per Schedule A) and the comments given by the Committee. After the rectification, the Unit owner will inform the Chhattisgarh Tourism Board office in writing of the changes in the Unit and then the Committee will schedule a final inspection.If the Unit has complied with all necessary requirements, it shall be given a Certificate of Registration, within the prescribed 45 days period from the date of receiving the letter (as per Annexure 8). However, if the unit fails to qualify as per the necessary requirements after the rectification period, it's application will stand rejected and the owner will have to apply again for registration as per the guidelines mentioned in this document.

13.13 Any changes in the facilities of the unit shall be reported to the Committee within 30 days as mentioned in clause 11.

13.14 The Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board reserves the right to modify the guidelines/terms and conditions from time to time.

13.15 A rating will be given by the Chhattisgarh Tourism Board on the basis of a set of parameters, broadly given in Annexure 7.

13.16 Once the unit is registered under this policy, it will be promoted by the Chhattisgarh Tourism Board on their website, along with its description and photographs.

13.17 If the registration is cancelled, the Owner of that particular unit can reapply for registration as per the guidelines mentioned in this document. The decision to register such a Unit again will be taken by the Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board.

13.18 In case the unit owners wishing to apply for the incentives and subsidies under this policy, the Owner must submit the following documents(attached as appendices in Policy):

13.18.1 Annexure 10: Application form for availing Capital Investment Subsidy.

13.18.2 Annexure 11: Application form for availing Interest Subsidy.

13.18.3 Annexure 12: Application form for availing other Subsidies/Incentives.

14 Responsibilities of the Property Owner

14.1 The unit owner shall maintain a documented register of all the guests which shall always be available for inspection by the authorities. This register must be renewed each year. Each register shall be maintained for at least five years.

14.2 The unit owner/ operator must ensure that the guest furnish their correct details and must collect photo ID proof in terms of valid identification.

14.3 This register will be inspected by the concerned authority periodically and the visit shall be scheduled in advance.

14.4 It is desirable that the Unit Owner maintains digital records of the register of guests.

14.5 The unit owner is to ensure that the premises of the unit are clean, hygienic and secure.

14.6 The unit's certificate of registration, room rent, menu card&food rates, check-in & check-out timings, and other such information shall always be displayed clearly by the unit owner/ operator.

14.7 In case the guest wishes to complain against the unit, the contact details (name, designation, address, telephone number and e-mail address) of the officer appointed by the Chhattisgarh Tourism Board shall always be displayed in the prominent area within the homestay unit.

14.8 The food must always be prepared and served to the guests in hygienic conditions.

14.9 If any services are promised/ mentioned on the website by the unit owner, he/she must make them available to the guests.

14.10 The unit owner/ operator must not charge more than the rates that guest have been informed about during booking, for lodging and food, and shall not ask any extra money or favour of any kind from the guest.

14.11 The unit owner need not necessarily make arrangements for a front office.

14.12 The unit owner/ operator must not involve in buying and selling of any prohibited items of historical importance and wildlife and must not allow the same in the unit's premises.

14.13 The unit owners must ensure the non-consumption of any illegal/narcotic substance within the establishment.

14.14 The unit owners must ensure that there is no excessive noise, shouting or loud music in and around the establishment which may create nuisance for other residents.

14.15 The unit owner must display his/her contact details (name, designation, address, telephone number and e-mail address) always in a prominent place of the Homestay Unit.

14.16 The unit owner/ operator must not allow a non-guest (who has not been registered) to stay with the guest in the unit.

14.17 The unit owner must make sure that himself/herself or the guest should not be involved in any activities that have an adverse influence on the neighbours' privacy and rights.

14.18 The unit owner must not give any wrong information to the guests regarding the registered homestay.

14.19 Any change in amenities and/or infrastructure and services of the homestay should be brought to the Chhattisgarh Tourism Board office's notice immediately by the unit owner through a written letter as given in Annexure 8.

14.20 The unit owner must ensure that no illegal/ unlawful/ immoral activities are undertaken/ done within the establishment.

15 In an event of any National/ State Emergency

In case of any national/ state emergency, such as the COVID-19 pandemic, the Units along with their owners and guests will abide by the guidelines and orders issued by the competent authority.

16 Handling of Guests' Complaints

16.1 In case of dissatisfaction with the services rendered by the registered property owner/ operator, the guest can communicate their grievances to the Chhattisgarh Tourism Board through a written complaint/ e-mail/ on website set up by the Chhattisgarh Tourism Board. The complaint must have the guest complete address, contact number and e-mail address.

16.2 The complaints will be received by the Committee and will be scrutinized by its members. In case the claims of the guests are verified, the Committee will notify the respective unit owner regarding the grievance and the Committee's comments. The respective unit owner will be notified to effectively address the grievance.

16.3 Depending on the severity of the complaint received, the Committee shall investigate the issue in detail and if the unit was found fault, the committee may decide to cancel the registration of that particular unit and remove the same from its online directory.

17 Cancellation of the Unit's Registration

17.1 The Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board with a written notice, can remove a homestay from the directory and cancel its registrationfor the following reasons:

17.1.1 If the unit's owner has changed.

17.1.2 If the unit's owner has been punished through legal means for participating in any criminal activity and/or has been imprisoned in jail.

17.1.3 If the unit owner is declared as a bankrupt.

17.1.4 If the uni owner is not following the provisions given in the guidelines for operation as per this document.

17.1.5 Any other valid reason.

17.2 The action taken for removal of the unit from the directory will not have effect on the property owner's legal character or civil liability under the prevailing law.

17.3 Before the removal of the unit from the directory, the unit owner will be notified of the reasons for the removal by a written notice. A hearing will be conducted for the property owner to explain and then a decision will be taken by the Chhattisgarh Tourism Board.

17.4 Chhattisgarh Tourism Board will publish updated lists of the Units' directory and the ones that have been removed from the same on a regular basis online.

17.5 The units removed from the directory can re-apply for registration according to the provisions prescribed in clause 12of this document along with a thorough inspection and the decision in this regard will be taken by the Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board.

18 Awards and Accolades

18.1 The Chhattisgarh Tourism Board shall encourage the qualitative development of the registered units through arranging a yearly awards ceremony wherein the three best registered homestays within Chhattisgarh will be eligible to win prize.

18.2 The Chhattisgarh Tourism Board would facilitate these awards by inviting entries through a notice published on their website. Only the units registered with the Chhattisgarh Tourism Board under this policy would be eligible to participate. The Chhattisgarh Tourism Board shall review the entries based on a set of parameters (to be decided when need be) and choose the winners through a fair and transparent method.

19 Loans and Government Grants

The Chhattisgarh Tourism Board will facilitate provision of loans and grants under various Governmentschemes/policy for development of Homestay.

20 Clarification/ Amendment in the Policy and Guidelines

20.1 Chhattisgarh Tourism Board will publish any amendments to the definitions, clarifications or changes to this policy, as and when required, on the Chhattisgarh Tourism Board website. It is authorized to make further necessary amendments, changes and additions to this policy.

20.2 In case of any difference in the provisions made in the Hindi and English versions of the policy, the English version will prevail.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ROHIT YADAV, Secretary.

Annexure 1: Form "A"

Application Form for Registration of Homestay as per Clause 12

1. Name of the Establishment: _____
2. Category for which applied (Heritage/Urban/Rural/): _____
3. Details of the person authorized to manage the Unit:
    a. Name:
    b. Identity proof- Aadhar:
    c. PAN card (if applicable)
4. Registration no. with NIDHI (optional): _____
5. Complete Postal Address of the Unit: _____
    a. Telephone number:
    b. E-mail:
    c. Mobile number of the promoter:
6. Distance of the Unit (in km) from:
    a. Airport: _____
    b. Railway Station: _____
    c. City Centre: _____
    d. Nearest main Shopping Centre: _____
    e. Nearest Bus Stand/ Scheduled city bus stop: _____
7. Details of Unit:
    a. Whether owned or leased premises (enclosed proof of ownership or leased deed, in case of lease): _____
    b. Whether clearance obtained from the Police Authorities regardingthe antecedents of the owner /owners and the proposed activity (copy to be enclosed):
    c. Width of the road on which Unit is located: _____
    d. Details of parking available in the establishment or its vicinity: _____
    e. Plot Area (in sq.metres): _____
    f. Covered Area (in sq.metres): _____
    g. Number of Rooms in the Unit:
        i. Single Bed & Size of each room: _____
        ii. Double Bed & Size of each room: _____
    h. Number of Rooms (with bathroom and toilet) offered for use under this policy: _____
    i. Common Area (give details & area in sq.metres):
        i. Lobby/ Lounge: _____
        ii. Dining Space: _____
    j. Additional facilities, if any: _____
    k. Eco-friendly facilities: _____
    l. Fire-fighting equipment/hydrants, if any: _____
8. Tariff for rooms:
        i. Single Bedroom (INR): _____
        ii. Double Bedroom (INR): _____
9. Details of Fee to be deposited: Banker's cheque/DD No./Cash Receipt No. _____ & date
10. Details of enclosures with this Form: _____
11. Particulars of owner or authorized person residing in the establishment giving age, profession, family members with their relationship and brief note on the background of owner or representative.

(Attach checklist of facilities available in the establishment as per "Schedule A")

Signature: ……..

Place and Date: ……..

Schedule A: Checklist

(N: Necessary, D: Desirable)

Sr. No	Prerequisites	Heritage	Urban	Rural	Certification by Owner (Yes/No)	Observation of Classification Committee (Yes/No)
1. General						
1.1	Clean and hygienic environment	N	N	N		
1.2	Bedrooms, bathrooms, public areas and kitchens serviced daily while there are guests	N	N	N		
1.3	All floor surface clean and in good condition	N	N	N		
1.4	Safety and security	N	N	N		
1.5	Uniform and nametags for employees	D	D	D		
2. **Guest Room**						
2.1	Minimum one lettable room and maximum 6 lettable rooms (12 beds). All rooms must be clean, pest-free and ventilated	N	N	N		
2.2	Minimum floor area of the lettable room (in sq.mt)	120 sqft	120 sqft	100 sqft		
2.3	A comfortable bed with minimum 2 sheets linen and bedding, preferably in an Indian design	N	N	N		
2.4	One 15-amp earthed power socket in guest room	N	N	D		
2.5	Wardrobe with 4 hangers	N	N	D		
2.6	Shelf/ drawer space	N	N	D		
2.7	Chairs (one per bedding)	N	N	D		
2.8	Writing table with sufficient lighting	N	D	D		
2.9	Facility of safe/ safety locker	N	N	D		
2.10	Wastepaper basket	N	N	N		
3. **Bathroom**						
3.1	bathroom (with WC toilet)	N	N	N		
3.2	Minimum floor area of bathroom	30 sqft	30 sqft	30 sqft		
3.3	Functional toilet having toilet seat installed (and cover, wherever applicable)	N	N	N		
3.4	Western toilet having toiletries (toilet paper/ soap/hand wash)	N	N	N		

Sr. No	Prerequisites	Heritage	Urban	Rural	Certification by Owner (Yes/No)	Observation of Classification Committee (Yes/No)
4. **Water Supply**						
4.1	Hot and cold-water supply that is connected to appropriate sewage	N	N	N		
4.2	Water saving taps/shower	D	D	D		
5. **Public Areas**						
5.1	Kitchen that is smoke-free, clean, odourless and pest-free	N	N	N		
5.2	Dining area where Indian food will be served	N	N	N		
5.3	Clean, non-plastic crockery and cutlery	N	N	N		
5.4	Air-conditioning or heating facility, as per climate requirements, by which the room temperature would be between 20-25°C	D	N	D		
5.5	Provision of iron and/or iron board on request	D	D	D		
5.6	Internet connection	D	N	D		
5.7	Complimentary aqua guard/ RO/ mineral water	N	N	D		
5.8	Telephone, with an extension in the guest room	D	D	D		
5.9	Laundry/ washing machine/ dry cleaning/ dryer facility on premises	N	N	D		
5.10	Refrigerator in room	D	D	D		
5.11	Seating arrangement in lounge/ lobby	N	N	D		
5.12	Solid waste collection done within premises as per local regulations	N	N	N		
5.13	Facility to accept cheque/ DD/ credit card	N	N	D		
5.14	Facility to take guests' messages	D	D	D		
5.15	Names and contacts of doctors/ emergency personnel easily available	N	N	N		
5.16	Assistance in handling luggage, if asked	N	N	N		
5.17	Smoke detectors/ smoke alarms	D	D	D		
5.18	Facility for luggage/ cloak room	N	N	D		

Note- The grading in the various categories will depend on the quality of accommodation, facilities and services created or provided. The same can be relaxed by the committee, based on local requirement.

Certificate of Observation of the Classification Committee

On today's date ……., the Unit, given as application on date ……., was inspected by the Classification Committee. The Unit applied for, as per the Chhattisgarh Homestay Policy, is suitable/ unsuitable as per the inspection. Therefore, the Classification Committee awards the …….. Unit with the …….. Category, within the provisions in the Policy, and allows/ does not allow for registration of the Unit.

Name:	Name:
Designation:	Designation:
(Chhattisgarh Tourism Board)	(Senior Officer)
Signature and Stamp	Signature and Stamp

Annexure-2

Self-Declaration

I,_____, son/daughter/wife of Mr/Ms/Mrs _____, do hereby verify that the information provided above is true to the best of my knowledge and the documents are authentic.

Signature of the Owner of the Unit

Place: _____

Date: _____

Annexure-3: Form "B"

Certificate of Registration

Registration No. _____

It is certified that house _____, owned by Mr/Ms/Mrs _____, is registered for _____ number of rooms in the _____ category under the Chhattisgarh State Homestay Policy 2025.

This certification is issued on date _____ and shall be valid till date _____.

Photo of Unit Owner/ Operator

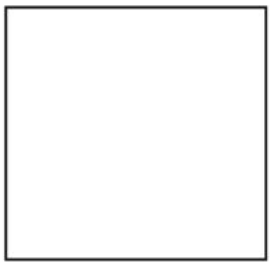

Managing Director

Chhattisgarh Tourism Board

Place: _____

Date: _____

Annexure-4: "Form C"

Application for Renewal of Registration of Unit under the Chhattisgarh State Homestay Policy 2025

as per clause 12.3

To,

Managing Director,
Chhattisgarh Tourism Board,
Udyog Bhavan, Raipur,
Chhattisgarh – 492001

Dear Sir/Madam,

I hereby apply for renewal of certificate of registration of this Policy. Brief details are as under:

1. Name of Unit (with complete address): _____
   _____
2. Date of registration with the date of validity: _____ (enclose copy of certificate of registration)

As the period of validity of the registration certificate is expiring on _____, so I request that the said certificate may be renewed for a further period of three years on the term and conditions as laid down under this Policy. [check list of the approved existing accommodation and facilitation is enclosed as per schedule of the said policy].

I enclose herewith Banker's Cheque or Demand Draft No. _____, dated _____ for amount of INR _____ payable to "Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board"at "Raipur" as renewal fee.

Signature of the Unit Owner

Place: _____

Date: _____

Annexure-5

Format for Directory to be Maintained by Chhattisgarh Tourism Board

S. No	Name of the Unit	Registration No.	Category	Date of Registration	Unit Owner's Name	Address	Phone Number	E-Mail	No. of Rooms and Rent		Front View Picture of the Unit	Duration of Registration for Unit	Renewal Date (if applicable)
									Single Bed	Double Bed			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Annexure-6

Format for Register to be Maintained by the Unit Owner/ Operator

Name of Homestay: .....

Address of Unit: .....

S.No	Guest Name	Age	Residential Address	Phone No. & E-Mail Address	Nationality	Passport No/ Other Identification No.	Date and Time		Place of Arrival	Place of Departure	Sign
							(A) Arrival	(B) Departure			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Annexure-7

Format for Ratings by Visitors

Name of Guest: _____

Address: _____

Contact No: _____

E-mail ID: _____

Nationality: _____

Name of Unit and Location: _____

Sr. No	Rating Aspect	Very Poor	Poor	Good	Very Good	Excellent
1	Accessibility to the Unit					
2	Hygiene of the Unit and its Premises					
3	Provision of amenities was same as given on the website					
4	Food quality (if opted for)					
5	Behaviour of the Hosts					

Signature of Guest

Place:

Date:

Annexure-8

Format for Letter to Inform Regarding Changes in Unit

To,

Managing Director,
Chhattisgarh Tourism Board,
Udyog Bhavan, Raipur,
Chhattisgarh – 492001

I wish to inform that I have made the necessary modifications/ rectifications/ additions to my Unit named _____, located at _____, as per the comments and instructions of the Classification Committee formed by the Chhattisgarh Tourism Board, given during the inspection of the unit dated _____.

With this letter, I have attached pictures and description of the modifications/ rectifications/ additions prescribed by the Committee and I request the said Committee to audit my Unit to verify the same.

The information and documents provided by me in this letter is true to the best of my knowledge.

(_____)

Name and Signature of the Unit Owner

Place: _____

Date: _____

Annexure-9

Format for Undertaking

To,

Managing Director,
Chhattisgarh Tourism Board,
Udyog Bhavan, Raipur,
Chhattisgarh – 492001

I have read and understood all the terms and conditions mentioned in the Chhattisgarh State Homestay Policy 2025 with respect to the approval and registration or renewal of the Homestayand hereby agree to abide by the same. The information and documents provided by me are correct and authentic to the best of my knowledge.

(_____)

Name and Signature of the Unit Owner

Place: _____

Date: _____

Annexure-10

Application form for availing Capital Investment Subsidy

1. Name of the Establishment: _____
2. Registration Number: _____ *(a copy of registration certification shall be submitted)*
3. Category for which applied (Rural): New Unit_____Existing Unit_____
4. Number of Rooms: _____
5. Details of the person authorized to manage the Unit:
    a. Name:
    b. Identity proof- Aadhar:
    c. PAN card (if applicable)
    d. Background note on the authorised person:
6. Complete Postal Address of the Unit: _____
    a. Telephone number:
    b. E-mail:
    c. Mobile number of the promoter:
7. Amount of Capital Investment: _____

8. Documentary Proof:

Sr. No	Name of the Document	Document Submitted Yes | No	Remarks
1	Affidavit mentioning the details of the amount invested in the construction		
2	Photographs (Before/After)		
3	Purchase Bills for Construction material(Cement, Brick, Steel, Furniture, etc)		
4	Building Plan Approval by competent authority or any other equivalent document showcasing the details of the homestay		

Annexure-11

Application form for availing Interest Subsidy

1. Name of the Establishment: _____
2. Registration Number: _____ *(a copy of registration certification shall be submitted)*
3. Category for which applied (Rural/Heritage): New Unit _____ Existing Unit_____
4. Number of Rooms: _____
5. Details of the person authorized to manage the Unit:
    a. Name:
    b. Identity proof- Aadhar:
    c. PAN card (if applicable)
    d. Background note on the authorised person:
6. Complete Postal Address of the Unit: _____
    a. Telephone number:
    b. E-mail:
    c. Mobile number of the promoter:
7. Amount of loan sanctioned/withdrawn from the bank for the investment in homestay: _____
8. Documentary Proof:

Sr. No	Name of the Document	Document Submitted Yes | No	Remarks
1	Loan Approval Document		
2	Bank Account Statement or any relevant document showing the submission of the interest on time. *Note: A letter issued by the bank may be submitted mentioning the repayment details (Capital & Interest) till date*		
3	Photographs (Before/After)		

Annexure-12

Application form for availing other Subsidies/Incentives

1. Name of the Establishment: _____
2. Category for which applied (Heritage/Urban/Rural): New Unit _____ Existing Unit_____
3. Number of Rooms: _____
4. Details of the person authorized to manage the Unit:
   a. Name:
   b. Identity proof- Aadhar:
   c. PAN card (if applicable)
   d. Background note on the authorised person:
5. Complete Postal Address of the Unit: _____
   a. Telephone number:
   b. E-mail:
   c. Mobile number of the promoter:

6. Name of the incentives/subsidies:

Sr. No.	Name of the incentives/subsidies	Applied for Yes | No
a)	Technological Incentives	
b)	Incentives for attracting & hosting foreign tourists	
c)	Reimbursement of State Incentives	

7. Documentary Proof

Sr. No	Name of the incentives	Name of the Document	Document Submitted Yes | No	Remarks
1	Technological Incentives *(Applicable for Rural Homestay Units)*	• Relevant document for registration of Digital payment gateways		
		• Registration Certificate of NIDHI Portal.		
		• Broadband Connection Installment details and active bills showing the details of the payment of broadband services.		
2	Incentives for attracting & hosting foreign tourists	• Booking Confirmation details • Relevant ID Proof of the guests • Photographs with the guests		
3	Reimbursement of State GST	• GST Return		

Note- The incentives/ subsidies shall be granted as per clause 6.1

Annexure-13

List of Notified Tourist Places/Villages at Bastar and Sarguja Division

S.No.	District Name	Village Name/Tourist Destinations
01	Bastar	1. Lohandiguda 2. Narayana pal 3. Tirtha 4. Dhudhmaraas 5. Manjhipal 6. Chilkuti 7. Matnar 8. Jagdalpur 9. Nangur
02	Bijapur	1. Indravati National Park 2. Pamed
03	Dantewada	1. Dantewada 2. Muchnar, (Barsur) 3. Midkulnar 4. Bacheli 5. Kumharaas 6. Balud 7. Nayapara
04	Kanker	1. Kanker 2. Khamdhodgi/Kokpur
05	Kondagaon	1. Kondagaon 2. Umargaon 3. Karanpur 4. Masora 5. Keshkaal 6. Bunagaon
06	Jashpur	1. Mayali (Deobora) 2. Kere (Deshdekha) 3. Kunkuri 4. Bagicha (Navapara, Dangari) 5. Bagicha (Khudiarani/chhichhli) 6. Pathalgaon/Tamta (Ghoghara)
07	Surajpur	Tamor pingala
08	Surguja.	1. Mainpat (Kamleshwarpur), 2. Ramgarh
09	Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	1. Laai 2. Harchauka
10	Korea	1. Odagi (Baikunthpur) 2. Ghunghutta 3. Ramgarh (Singhadipara) 4. Sonhat(Mendra village) 5. Sonhat (Tanjara village) 6. Gaurghat
11	Balrampur	Balrampur

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.